

विषय सूची

Page.No

1.	निदेशक मण्डल	73
2.	ए. जी .एम की सूचना	74
3.	अध्यक्ष के पत्र	82
4.	निदेशक के रिपोर्ट	84
5.	निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	105
6.	वर्ष 2014 - 15 का वित्तीय विवरण	112
7.	लेखा परीक्षक के रिपोर्ट	132
8.	भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	136

पंजीकृत कार्यालय

आठवाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर
पार्क अवन्यू, कोच्ची - 682 011
केरल, भारत
दूरभाष - + 91484 2380980
फैक्स नं - + 91484 2380686
www.kochimetro.org

सांचिधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के.वर्गस एण्ड कंपनी
शासनपत्रित लेखाकार
बाजार सडक
एरणाकुलम

सांचिधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स गोपीमोहन सतीशन एण्ड असोसियेट्स
कंपनी सचिव
एम.जी रोड, रविपुरम
कोच्चीन - 682 016

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जे.आर एस एण्ड कंपनी
शासन पत्रित लेखाकार
दूसरा मंजिल, द मोनार्क

कंपनी सचिव

बी.अनिलकुमार

हमारा बैंक

केनरा बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर

इंडियन बैंक

एच.डी.एफ.सी बैंक लिमिटड

एक्सिस बैंक लिमिटड

आई डी बी आई बैंक लिमिटड

फेडरेल बैंक लिमिटड

एरणाकुलम जिला को आपरेटीव बैंक लिमिटड

निदेशक मण्डल

- श्री मधुसूदन प्रसाद
अध्यक्ष, के एम आर एल, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, कमरा नं.122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- श्री मुकुंद कुमार सिन्हा
ओ एस डी (युटी) संयुक्त सचिव, पूर्व पदाधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, कमरा नं. 138 सी निर्माण भवन , नई दिल्ली
- श्री लज कुमार
अतिरिक्त सदस्य (वर्कस), रेलवेबोर्ड, रेलवे मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र त्यागी
निदेशक (वर्कस)
डी एम आर सी लिमिटड, मेट्रो भवन, फ्यार ब्रिंगड लेन, बरखम्बा रोड, नईदिल्ली
- श्री एल.नरसिंह प्रसाद
निदेशक (सिस्टम्स & ओपरेशन्स)
चैनै मेट्रो रेल लिमिटड
- श्री जिजी तोमसन
मुख्य सचिव,
केरल सरकार, सरकार सचिवालय तिरुवनंतपुरम
- डॉ. के.एम. एब्रहाम
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त केरल सरकार, सरकार सचिवालय तिरुवनंतपुरम
- श्री वी.जे कुरियन
अतिरिक्त मुख्य सचिव, जलसंसाधन & सी एस आइ एन, केरल सरकार, सरकार सचिवालय तिरुवनंतपुरम
- डॉ. एम.जी राजमाणिकम
जिलाधीश, कलवटर कार्यालय, काक्कनाड, एरणाकुलम
- श्री ऎलियास जॉर्ज
प्रबंध निदेशक , कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, कोच्ची
- श्री महेष कुमार
निदेशक (परियोजना)
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, कोच्ची
- श्री एब्रहाम उम्मन
निदेशक (वित्त)
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, आठवाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर कोच्ची ।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर
पार्क एवन्यू, कोच्ची - 682011, केरल, भारत
दूरभाष : + 91484 2380980, फैक्स + 91 484 2380686
web site :www.kochimetro.org

सीए एन : U60100KL2011SGC029003

चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना

सूचना एतद् द्वारा दी गई है कि कंपनी के शेयरधारकों की चौथी आम बैठक 29 सितंबर 2015 मंगलवार को 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, रेवन्यू टॉवर , 8- वाँ मंजिल, पार्क एवन्यू के सामने , केच्ची - 682 011 में निम्नलिखित कारबार करने आयोजित की जाएगी।

साधरण कारबार

1. 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के साथ कंपनी के लोखा परीक्षित वित्तीय विवरण का प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने केलिए ।
2. सांविधिक लेखापरीक्षकों की पारिश्रमिक को तय करने केलिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सर्वश्री के.वर्णीस एवं के.सनदी लेखापाल को नियुक्त किए गए।

विशेष कारबार

3. कंपनी की उधार सीमा में 3000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये का संवर्धन ।

अगर उचित है तो एक विश्व संकल्प के रूप में संशोधन के साथ या इसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करने केलिए विचार करें:

“संकल्प लिया है कि यथासमय संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के सभी अन्य प्रायोज्य प्रवधानों और धारा 180 (1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के कारबार के प्रयोजन केलिए अपेक्षित या उचित समझे तो कंपनी के सभी या किसी भी उपक्रमों और बंधक, प्रभारी, माल बंधक, लियन या कंपनी के चल या अचल संपत्तियों की गिरवी द्वारा रक्षित या अरक्षित ऐसे सभी रकम समय पर उधार लेने केलिए शोयरधारक, अपनी सहमति एतद्द्वारा निदेशक मंडल को देते हैं। कंपनी द्वारा पहले से ही उधार लिए पैसे और उधार लिए जानेवाले पैसे, कंपनी के चुकाया हुआ कुल शेयर पूँजी और उसके स्वतंत्र भंडार से अधिक हो जाएं। अर्थात् किसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए भंडार की राशी को छोड़कर कंपनी के उधार लेने की कुल रकम 5,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। संकल्प लिया है कि यथासमय संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 के सभी अन्य प्रायोज्य प्रावधानों और धारा 180(1) (सी) के प्रावधानों के अनुसार दोनों वर्तमान और भविष्य ये जहाँ भी स्थित कंपनी के सभी या किसी भी चल या अचल संपत्तियों पर बंधक रखने या शुल्क लेने या ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसे समय और तरीके पर कंपनी के सभी उपक्रमों को बेचना पड़े या पूरे या किसी हद तक बंद निपटाने की अपनी सहमति शोयरधारक एतद्द्वारा निदेशक मंडल को देते हैं। किसी भी बैंक या निगमित निकाय के पक्ष में यह ठीक समझे तो ब्याज, लागत, शुल्क और खर्च किसी भी समय पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक न हो। आगे संकल्प लिया है कि इस संकल्प को और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों को प्रभावित करना आवश्यक हो तो ऐसे सभी दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करने और ऐसे सभी कार्य, विलेख करने केलिए बोर्ड एतद्द्वारा अधिकृत किया है।”

“कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुयोज्य और धारा 180 (1) के प्रावधानों के अनुरूप आगे समय-समय पर संशोधित करके निश्चय करना है। इसके अनुसार शेयरधारियों को निदेशक मंडल से वर्तमान या भविष्य में उनके पूरे चल/अचल संपत्ति के गिरवी और जिम्मेदारी बिर्का, किराया, आदि से संबंधित कंपनी के

नियमावली, उनके अनुसार किसी भी बैंक, संस्था या संयुक्त संस्था आदि के साथ लाभ सहित किसी भी प्रकार की लेन देन हो जिस पर खर्च ₹.5000 करोड़ के अंदर आने केलिए तय करना है।”

“इस प्रकार के निर्णय लेने केलिए आवश्यक कार्य, कार्रवाई आदि कराने और आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, उससे संबंधित कार्यों से संपर्क करने का अधिकार एवं अनुमति बोर्ड को है।”

4. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एसोसियेशन के लेख में परिवर्तन

अगर उचित है तो, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में बिना संशोधन या संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु विचार करें :

“संकल्प लिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के किसी भी अन्य प्रायोज्य प्रावधानों और धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी के एसोसियेशन के 78 और 116 अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियमों एतद्वारा निम्नानुसार परिवर्तित है।

वार्षिक आम बैठक पर अनुच्छेद 78 में - कंपनी के निर्धारण के अनुसार शहर के भीतर किसी अन्य जगह पर ‘कंपनी का कार्यालय स्थित है’ के स्थान पर ‘इसके संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुसार किसी अन्य जगह के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा’।

निदेशक की संभ्या पर अनुच्छेद 116 में “15 से अधिक नहीं” शब्द हटाया जाएगा।

आगे संकल्प लिया है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी करने केलिए आवश्यक है तो उचित या समीचीन कदम उठाने और सभी कार्य करने केलिए कंपनी के निर्देशक मंडल को एतद्वारा अधिकृत किया है।

5. निदेशक, सिस्टेम्स आफ दी कंपनी के रूप में श्री प्रवीण गोयल (डी ऐ एन 06921435) की नियुक्ति ।

अगर उचित हा तो एक विशेष संकल्प के रूप में बिना संशोधन या उसके साथ निम्नलिखित संकल्प पारित करने हेतु विचार करें :

“संकल्प लिया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और सभी अन्य प्रायोज्य प्रावधानों के अनुसार और उक्त अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पढ़ा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार श्री, प्रवीण गोयल (डी ऐ एन 06921435) को निदेशक (सिस्टेम्स) के रूप में 10-9-2015 से प्रभाव के साथ 5 साल की अवधि केलिए एतद्वारा नियुक्त किया गया है। आगे संकल्प लिया है कि श्री.बी.अनिलकुमार, कंपनी सचिव कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक रिटर्नस फाइल करने केलिए एतद्वारा अधिकृत किया गया है।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड केलिए

(हस्ताक्षर)

बी.अनिलकुमार

कंपनी सचिव

स्थान : कोच्ची

दिनांक : 2 सितंबर 2015

टिप्पणियाँ

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 को अनुसार उक्त मद सं 3 और 4 के तहत लिखे व्यापार के संबंध सापेक्षिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. बैठक में मतदान करने और भाग लेने केलिए एक सदस्य को अधिकृत किया है। उसके बजाय मतदान करने और बैठक में भाग लेने केलिए एक प्रोक्सी की नियुक्ति करने में वह हकदार है और वह कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं है।
3. विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित प्रोक्सी का फार्म बैठक से पहले कम से कम 48 घंटों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के तहत अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल, एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शोयरधारकों की सहमति से पैसा उधार किया जा सकता है। जिसमें उधार लिया जा रहे पैसे और कंपनी द्वारा पहले सी ही उधार लिए गए पैसे और उसके कुल चुकाया हुआ शेयर पूँजी और स्वतंत्र भंडार, साधारण प्रकार के व्यापार के कंपनी के बैंकर्स से प्राप्त अस्थाई ऋण के अलावा अधिक हो जाएं। 30 मई 2015 को संपन्न हुई एक असाधारण आम बैठक में विशेष संकल्प की तरीके से पैसे उधार लेने में कंपनी की सहमति प्राप्त की गई। संकल्प यह था कि उधार लेने की राशी 3,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (सिर्फ 3,000 करोड़ रुपये)

वर्तमान समय में पहले से ही उधार लिए गए पैसे और उधार लिए जा रहे पैसे सहित कुल उधार 2,900 करोड़ रुपये है जो अनुमोदित उधार सीमा की राशी 3,000 करोड़ रुपये के अंदर है।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के फेस 1 के कार्यान्वयन और अन्य गतिविधियों के लिए कंपनी को निधीकरण ऐरेंसियों या वित्तीय संस्थानों से आगे उधार लेने की आवश्यकता आ जाएगा। यह ज़रूरी है कि कंपनी की उधार सीमा 3,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना है।

उपर्युक्त के मद्देनज़र में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए बोर्ड मद सं 3 पर संकल्प की सराहना देता है। सूचना की मद सं 3 पर दिए संकल्प में किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनसे संबंधित रिश्तेदारों में से कोई भी चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद सं. 4

चरणबद्ध तरीके से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम 2013 के 282 वर्गों के लिए प्रभाव दी और कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का प्रभाव बंद कर दिया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना स.जी एस आर 456 (इ) देखिए) ने कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधानों के प्रायोज्यता से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है, नीचे दिए गए संकेतों के अनुसार कंपनी के ए ओ ए के कुछ प्रावधान इस अधिसूचना की आवश्यकताओं से संगत नहीं हैं। इस अवसर पर यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि ए औ ए जैसे कंपनी के सभी चार्टेड दस्तावेजों में जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ उचित परिवर्तन, जोड़ाईयाँ, या विलोपन करके अधिसूचना के अनुरूप संगत करना है। कंपनी के सुगम प्रबंधन को सुनिश्चित करने और सरकारी कंपनियों के लिए लागू की गई छूट से लाभ उठाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन जारी की गई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार कंपनी के ए ओ ए को बदलना ज़रूरी है।

उपरोक्त मद्देनज़र में शेयर धारकों द्वारा अनुमोदन केलिए मद सं 4 पर बोर्ड संकल्प की सराहना देता है।

सूचना की मद स. 4 पर दिए संकल्प में किसी भी निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

मद सं. 5

श्री वेदमणी तिवारी, निदेशक, सिस्टेम्स, को कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड कंपनी की सेवा से 30 जून 2015 को कार्यमुक्त किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उनके इस्तीफे की स्वीकृति की।

अध्यक्ष के रूप में एमडी/ के एम आर एल और श्री मुकुंद कुमार सिन्हा ओ एस डी/ एम औ युडी से मिलकर निदेशक के चयन के लिए एक बोर्ड की उपसमिति, निदेशक मंडल के एक संकल्प देखिए, का गठन किया गया। बोर्ड उपसमिति की सहायता करने केलिए बाहरी विशेषज्ञों के रूप में श्री. डी.एस मिश्रा, अपर सचिव एम ओ यु डी और श्री ए.पी मिश्रा, इंजिनियरिंग या रेलवेबोर्ड को आमंत्रित किया गया।

उम्मीदवारों को साक्षात्कार करने के बाद और उनकी उपयुक्ता का आकलन करने के बाद समिति में के.एम.आर.एल में निदेशक, (सिस्टेम्स) के पद पर श्री. प्रवीण गोयल (हेड रेल सिस्टेम्स), परियोजना निष्पादन एल व टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड की सिफारिश की।

उपर्युक्त महेनजर में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदनार्थ मद सं.5 पर बोर्ड संकल्प की सराहना देता है। सूचना की मद सं 5 पर दिए संकल्प में श्री प्रवीण गोयल के सिवा किसी भी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनसे संबंधित रिस्तेदारों में से कोई भी चिंतित या रुचि नहीं रखते हैं।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर
पार्क एवन्यू, कोच्ची - 682011, केरल, भारत
दूरभाष : + 91484 2380980, फैक्स + 91 484 2380686
web site :www.kochimetro.org

सीए एन : U60100KL2011SGC029003

उपस्थिति की पर्ची

कृपया उपस्थिति की पर्ची पूरा करके बैठक होनेवाले स्थान के प्रवेश द्वार पर दी जाएं

नाम	
पता	
पृष्ठ सं	
रोका हुआ	
शेयर्स की	
संख्या	

प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए पंजीकृत शेयरधारक/ प्रोक्सी हूँ।

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 8 - वाँ मंजिल, रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू, कोच्ची - 682011, केरल भारत में सितंबर 29, 2015 को दुपहर 12.30 बजे संपत्र होनेवाली कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा व्यक्त करता हूँ।

सदस्य या प्रोक्सी का हस्ताक्षर

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड

पंजीकृत कार्यालय : 8 वाँ मॅर्जिल, रेवन्यू टॉवर
पाक एवन्यू, कोच्ची - 682011, केरल, भारत
दूरभाष : + 91484 2380980, फैक्स + 91 484 2380686
web site : www.kochimetro.org
सीए एन : U60100KL2011SGC029003

प्रपत्र सं. एम. जी टी -11

प्रोक्सी प्रपत्र

(कंपनी उपधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी नियम, 2014 के 19 (3) नियम (प्रबंधन और प्रशासन) के अनुसार
सदस्य का नाम / सदस्यों के नाम :

पंजीकृत पता :

ई.मेल ए.डी :

पृष्ठ सं. या सेवार्थी ऐ.डी :

डी.पी.ऐ.डी

1. मैं/ हम उपर्युक्त नामक कंपनी शेयर्स के सदस्य, एतद्वारा नियुक्त

नाम :

पता :

ई.मेल ए.डी :

2. हस्ताक्षर :

या उसके अभाव में

नाम :

पता :

ई.मेल ए.डी :

3. हस्ताक्षर :

या उसके अभाव में

नाम :

पता :

ई.मेल ए.डी :

हस्ताक्षर :

या उसके अभाव में

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 29 सितंबर 2015 को दोपहर 12.30 बजे संपत्र होनेवाली चौथी वार्षिक आम बैठक में मेरेलिए या हमारेलिए और मेरी
या हमारी ओर से एक चुनाव पर मतदान करने और भाग लेने केलिए उपर्युक्त की नियुक्ति की है। और उसके किसी स्थगन पर नीचे संकेत करते हैं। ऐसे
संकल्प के संबंध में-

सं. संकल्प

1.	31 मार्च 2015 को समाष्ट वित्तीय वर्ष केलिए निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के साथ कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने केलिए
2.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की पारिश्रमिक को तय करने केलिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तय करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सर्वश्री के. वर्गास & कं., सनदी लेखा पाल को नियुक्त किए गए।
3.	कंपनी की उधार सीमा में 3000 करोड रुपये से 5,000 करोड रुपये का संबंधन
4.	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप एसोसियेशन के अनुच्छेदों में परिवर्तन
5.	श्री. प्रवीण गोयल की निदेशक (सिस्टेम्स) के रूप में नियुक्ति

दिनांक

20

में हस्ताक्षरित

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक / धारकों का के

हस्ताक्षर



राजस्व
मुद्रांकन
चिपकाना

टिप्पणी :

1. कोई प्रोक्सी कंपनी के सदस्य होने की ज़रूरत नहीं।

2. प्रोक्सी के इस फार्म प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ से पहले 48 घंटों के अंदर विधिवत पूरा करके जमा किया जाना चाहिए

मार्ग नक्शा



अध्यक्ष का पत्र



प्रिय शेयरधारियों,

आपके कंपनी की चौथी वार्षिक महा बैठक (ए जी एम) में आपको स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। परीक्षित लेखा, निदेशकों और लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट, भारत के नियंत्रणाधिकारी एवं महा लेखा परीक्षक, शेयरधारियों की सूचना आदि आप के बीच में वितरित हो चुके हैं। कंपनी की चौथी वार्षिक महा बैठक के अवसर पर वित्तीय वर्ष 2014- 15 के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त लाभ और प्रगति के बारे में आप को जानकारी देना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ।

इस वर्ष के दौरान 2016 के प्रारंभ में ही कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना अपना रेल चलाने की कार्यक्रम में लगे हुए है और वह प्रगति पथ पर है। सिविल इंजिनियरिंग काम लगभग प्रगति पर है और आपकी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 95% समाप्त हो गया है। रोलिंग स्टॉक का निर्माण आंध्र प्रदेश के श्रीनगर ने ले लिया है और इनके कामों को देखते हुए यह बताना चाहता हूँ कि कोच्ची मेट्रो के रोलिंग स्टॉक राज्य के सब से श्रेष्ठ स्वदेशी कोच होगा, इसका मतलब यह है कि सच में 'भारत में ही निर्मित' उत्पन्न।

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने मेट्रो रेल को पेट्रा से त्रिपुणिन्तुरा तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है जो परियोजना के वर्तमान फेस की चरम बिंदु है। यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान मार्गरेखा के साथ दूसरा रेखा भी जे एल एन स्टेडियम पर आ जायेगा जिनकी लंबाई 11.2 कि.मी होगी जो इनको पार्क कावकनाड तक जोड़ेगा। इनको पार्क का क्षेत्र केरल के आई टी सेंटर के रूप में बढ़ रहा है और यह प्रस्तावित दूसरा रेखा कोच्ची मेट्रो सिस्टम के लिए अनुपूरक के रूप में काम आने की संभावना है।

मूल्यांकन करने पर इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने कई चुनौतियों का सामना किया जैसे भूमि अधिग्रहण, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनः निवेश & पुनः निर्णयन, निर्माण के वक्त ट्राफिक प्रबंधन, परियोजना से संबंधित कई विवाद वस्तुओं का काम निपटानेवाले व्यक्तियों और साथ ही कोच्ची नगरवासियों आदि। आपकी कंपनी ने कोच्ची नगर केलिए बहुत ही कालात्मक ढंग से पुनर्निवेश & पुन निर्णयन की पॉलिसी और पैकेज को अपनाया जिसका लक्ष्य परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की परेशानियों को कम करना था और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि के एम आर एल की प्रस्तुत पॉलिसी प्रभावित व्यक्तियों ने खुशी से स्वीकार कर लिया है।

परियोजना केलिए भूमि अधिग्रहण करने केलिए आपकी कंपनी ने केरल सरकार की अनुमति से एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से सूद के साथ पुनः भुगतान की देयताओं सहित 470

करोड़ रुपये ऋण पर ले लिया है।

आपकी कंपनी ने अपने परिश्रमों में कम नहीं कर रही बल्कि राज्य में मेट्रो रेल सिस्टम को आधुनिक सुविधाजनक तरीके से तैयार करने की कोशिश में है यह कोच्ची नगर के सभी प्रकार के परिवहन का सुगम माध्यम बनकर आम जनता केलिए सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए आप की कंपनी ने एक एकीकृत महानगरीय परिवहन अधिकार (यु एम टी ए) की दृष्टिकोण का निर्माण किया जिससे सिंगल टिकट, सिंगिल नेटवर्क टाइम ट्रेबिल और एक सामान्य नियंत्रण

सिस्टम के साथ सभी प्रकार के परिवहन के बीच सीबनहीन परिवहन साध्य हो। इसी प्रतीक्षा में है कि आपको कंपनी द्वारा तैयार किए गए यु एफ टी ए ड्राफ्ट बिल केरल सरकार द्वारा बहुत जल्दी ही अनुमति प्राप्त कर के चालू हो जायेगी।

मैं इन बोतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ने मेट्रो निर्माण केलिए व्यक्तिगत भागीदारी के साथ जो ऑटोमेटेड फेयर कलक्षण सिस्टम (ए एफ सी) को लागू किया वह सामान्य व्यक्तिगत भागीदारी में एक नमूना के रूप में जगह पा लिया जहाँ पर एक बैंक आगे आ गया और सिर्फ ए एफ सी निर्माण के मूल्यों में मदद करने नहीं बल्कि कोच्ची मेट्रो सिस्टम को पर्याप्त रूपये देकर कोब्रेंटेड कार्ड्स प्रदान करने केलिए तैयार हो गए।

पूरा केरल कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को परिपालन करने के इन्तजार में है और यह परियोजना पूरे राज्य केलिए गर्व की बात है। हम पूरे मेट्रो का निर्माण क्षेत्रीय पर्यटन केलिए विभिन्न स्टेशनों के साथ साथ संपूर्ण पर्यटकों को केरल की प्राकृतिक सुन्दरता और यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को भी दिखाने लायक बनाना चाहते हैं। लगातार भिन्न स्टेशन कई प्रकार के आशयों के साथ बने हैं जैसे केरल के प्राकृतिक सौंदर्य, विशेषकर पूर्वी घाट और उसके जीवमंडल के सुकुमार परिस्थिति विज्ञान आदि।

आपकी कंपनी तैयार किये गए प्रक्रियाओं की टिप्पणियाँ अनुकूल बनाने और साथ ही उसके व्यक्तिगत वृद्धि की प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। कंपनी ने युवा, उत्साही और ईमानदार कर्मचारियों को चुना है जो निर्माण की प्रक्रियाओं को अच्छी तरह निभा ले जो देश के अन्य आम कंपनियों केलिए एक अच्छा उदाहरण होगा।

आपकी कंपनी उसकी शक्ति सिर्फ शेयरधारकों के उत्साह पूर्ण मदद से ही नहीं बल्कि केरल की पूरी जनता की मदद से है और यही मदद हमें उच्च लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा देते हैं।

मैं यह अवसर बोर्ड के मेरे साथियों को उनके मूल्यवान देन और प्रेरणा, कर्मचारियों को उनके समर्पण एवं ईमानदार प्रयत्नों केलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सधन्यवाद

(हस्ताक्षर)

मधुसूदन प्रसाद

अध्यक्ष

निदेशक के रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष केलिए, लेखापर्वक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की चौथी वार्षिक रिपोर्ट पेश करने को खुश है।

परियोजना के बारे में

कोच्ची मेट्रो रेल मूल रूप से 22 स्टेशनों के साथ कुल 25.612 कि.मी.लंबाई की परिकल्पना की गई। और इस परियोजना की अनुमानित समापन लागत 5181.79 करोड़ रुपए थे। इस वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत आपकी कंपनी यातायात की आवश्यकताओं पर ध्यान रखकर सेवा के क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल, एस.एन जंक्शन, पेटा, त्रिपूणितुरा से 2 कि.मी की लंबाई से फेस A1 के रूप में 359 रुपए की अतिरिक्त निवेश के साथ मेट्रो गालियारे का विस्तार करने का निर्णय लिया। यात्रियों को ले जाने की क्षमता और इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए बोर्ड ने काक्कनाड से होकर जे.एल.एन स्टेशन से इंफो पार्क तक फेस 1 बी की मंजूरी दी। 2017.46 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के साथ फेस 1 बी की कुल लंबाई 11.2 कि.मी दूर है इस प्रस्ताव की मंजूरी केलिए भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया है।

परियोजना की स्थिति

रिपोर्ट के तहत वर्ष कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना केलिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष था। समय पर इस परियोजना को पूरा करने केलिए सिविल कार्य में तेजी लाना ज़रूरी था। 31 मार्च 2015 के समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान सिविल और सिस्टेम के ठेके में संतोषजनक ढंग से प्रगति हुई है। जिसमें वयाडक्टस, स्टेशन बिल्डिंग्स, रॉलिंग स्टॉक, ट्रैक्शन, ट्राक, सिग्नल और दूरसंचार भी शामिल हैं। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के दी इंटिपेटेट क्वालिटी सेल्फी कन्सलेंस कार्य स्थल में काम की गणि में गुणवत्ता और सुरक्षा की छानबीन करते हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सिविल कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाया है। 31 जुलाई 2015 को सिविल ठेकेदारों द्वारा हासिल की गई प्रगति निर्मालित है।

पैकेज	के सी 2	के सी 3	के सी 4	के सी 5
प्रगति का प्रतिशत	66.68	63.24	69.05	24.68

यह सूचित करने पर गर्व है कि 31 जुलाई 2015 को परियोजना के सिविल भाग के प्रतिशत 56.66 पूरा हो गया है और मेट्रो प्रणाली के रीच 1 वर्ष 2016-2017 के दौरान पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार श्री.सिटी, आंध्रप्रदेश के रॉलिंग स्टॉक का निर्माण भी प्रगति पर है। दिसंबर 2015 में कोच्ची में पहली ट्रेन आने की संभावना है। परीक्षण करने को पहले पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने केलिए कंपनी ने कैब चालकों और अन्य रखरखाव और संचालन केलिए कर्मचारियों की भर्ती शुरू की है। कई आथातित वस्तुएँ, जैसे ट्राक रेल, और ट्राक्शन रेल भी कोच्ची में लाये गये हैं। डिपो कार्य भी प्रगति पर है। परीक्षणों को शुरू करने की न्यूनतम अनिवार्य सेवाएँ वर्ष 2015-2016 के दौरान तैयार होने की संभावना है।

भूमि अधिग्रहण

परियोजना के लिए 40, 409 हेक्टर्स की आवश्यक भूमि से 38,502 (95%) हेक्टर्स की भूमि अब तक। कब्जे में ले लिया गया है। रीच 1 केलिए अपेक्षित भूमि 33.904 हेक्टर्स और रीच 1 केलिए (अर्थात आलुवा से महाराजास कॉलेज तक) भूमि अधिग्राहित की गई है। परियोजना के रीच 11 केलिए अपेक्षित भूमि से अब तक 4,598 हेक्टर्स (71%) की भूमि अधिग्राहित की है। जिला प्रशासन द्वारा बातचीत की खरीद के माध्यम से शेष भूमि अधिग्रहण के लिए कार्य प्रगति पर है।

चल स्टॉक और सिस्टेम के ठेके

प्रौद्योगिक रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय उपप्रणालियों से लैस किए 25 राज्य के अत्याधुनिक गाड़ियों की खरीदी के ठेके केलिए 26-028-2014 पर एक

अंतराष्ट्रीय प्रति स्पर्धी बोली के माध्यम से सम्मानित किया गया है। कोच्ची मेट्रो के प्रत्येक ट्रेन में सीबीटीसी सिगनेल्स के साथ 975 यात्रियों को ले जाने की क्षमता और प्रति घंटे में 90.कि.मी. की अधिकतम गति के साथ तीन डिब्बे कोच्ची मेट्रो के प्रत्येक ट्रेन में होते हैं। 21-03-2015 को माननीय शहरी विकास मंत्री श्री.एम.वेंकट्या नायिदु आवास और शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य ने श्री सिटी आन्ध्रप्रदेश में सर्वश्री आल्स्टेन के कारखाने में ‘कार बोडी शेल’ निर्माण का उद्घाटन किया गया।

कंपनी के अन्य प्रणाली ठेके जैसे ट्राक्शन, ई व एम, सिगनेलिंग व टेलिकॉम, एस सी ए डी ए सिस्टेम आदि को सम्मानित किया गया और कार्य प्रगति पर है।

प्लाटफार्म स्क्रीन गेट्स

आपकी कंपनी अपने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देता है और इस उद्देश्य से सभी स्टेशनों एक अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा प्लाटफार्म स्क्रीन गेट्स 66 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित की जा रही है। जो ट्राक पर यात्रियों की गिरावट को रोकते हैं। इसप्रणाली द्वारा व्यस्त समय के दौरान यात्रियों के शारीरिक हस्ताक्षेप से कार सलून की दरवाजे में होनेवाली देरी दूर करते हैं।

स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली -

बोर्ड को 1 स्वचालित किराया संग्रहण केलिए एक नया तकनीकी रूप से उन्नत और आत्याधुनिक व्यापार मॉडल पेश करने पर गर्व है। हार्डवेयर और सोफ्टवेयर में टिकट की बिक्री केलिए, आवश्यक निवेश करने केलिए आपकी कंपनी ने एक्सिस बैंक के संघ के साथ भागीदारी की है। इस नये व्यापार मॉडल के अंदर एक्सिस बैंक के संघ यात्रियों से किराये के संग्रहण केलिए अपेक्षित हार्डवेयर और सोफ्टवेयर स्थापित करेंगे। एक्सिस बैंक किराये के भुगतान केलिए कोच्ची मेट्रो के यात्रियों को ई एम वी मानकोंवाले सह-ब्रैन्डेड स्मार्ट कार्ड्स जारी करेगा। परिवहन पारिस्थितिक प्रणाली में ये कार्ड्स सहायक होंगे। और ई-वाणिज्य सहित सभी तरह के व्यापार केलिए ये कार्ड्स उपयोगी है। कोच्ची मेट्रो प्रणाली के बाहर सह-ब्रैन्डेड स्मार्ट कार्ड के उपयोग से एक्सिस बैंक के सकल राजस्व के 0.2% कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड अदा किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने एक्सिस बैंक के संघ के साथ श्री.एं वेंकट्या नायिदु, माननीय शहरी विकास मंत्री, आवास व शहरी गरीबी उपशमन और संसदीय कार्य की महनीय उपस्थिति में 10 जून 2015 को दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षरित किया।

विकास - संपत्ति विकास

मेट्रो रेल प्रणाली की व्यवहार्यता पूरी दुनिया में एक चुनौती है। सभी सफल महानगर गैर किराया बॉक्स राजस्व से पर्याप्त आय उत्पन्न करते हैं। संपत्ति विकास के क्षेत्र की क्षमता बढाने केलिए और किराया बॉक्स संग्रहण के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व कमाने केलिए आपकी कंपनी ने सर्वश्री जवान एल एल पी को कावकनाड, कोच्ची के मेट्रो सिटी के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इस वर्ष के दौरान एक प्रथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आपकी कंपनी कावकनाड पर संपत्ति के विकास के लिए पहचान की गई ज़मीन के हस्तातंरंग के लिए राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के प्रयास में है।

इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने संपत्ति के विकास हेतु निर्धारित स्टेशन केलिए स्थानों की पहचान की। मेट्रो व्यासा किराये पर देने से राजस्व कमाने की संभावना है। कोच्ची मेट्रो (मेट्रो प्लासा) परियोजना के स्टेशन स्थानों में संपत्ति के विकास केलिए लेनदेन सलाहकार को नियुक्त किया गया और उनके द्वारा पेश की गई एक प्रारंभिक रिपोर्ट समोक्षधीन है। कंपनी ने कोच्ची मेट्रो केलिए वैकल्पिक राजस्व मॉडल की पहचान के लिए सर्वश्री प्राइस वाटर हाउस कूपरेस (निजी) लिमिटेड को नियुक्त किया गया। और 15-5-2015 को एक स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

विशाल केच्ची के क्षेत्र में परिवहन प्रणाली के सहज एकीकरण

आपकी कंपनी कोच्ची में एक स्थानीय केंद्रित फोकस के साथ सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों की उन्नयन और अभियानों में समन्वय स्थापित करने केलिए इस वर्ष के दौरान अनेक पहलुओं का प्रारंभ किया। कंपनी एक एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को लागू करते कोच्ची में परिवहन नेटवर्क की आधुनिकीकरण और सुधार करने की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली आम स्मार्ट कार्ड और कमान एवं नियंत्रण केन्द्र के साथ सहज रूप से विशाल कोच्ची के क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों को जोड़ता है। इनके द्वारा कोच्ची में और आसपास के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की संभावना है। आपकी कंपनी यात्रियों को सबसे अच्छा

यात्रा अनुभव प्रदान करने केलिए प्रतिबद्ध है। और कंपनी कोच्ची के आसपास के लोगों को अच्छी तरह से जुड़े रखने केलिए नीतियों को लागू करने और शामिल करने का प्रयास कर रहा है।

आपकी कंपनी की विश्वन को आगे करने केलिए सर्वश्री अर्बन मास ट्रांसिट कंपनी लिमिटेड को निम्नलिखित कार्य केलिए सलाहकार के रूप में लगा हुआ है।

1. एक विस्तृत गतिशीलता योजना और विशाल कोच्ची प्रदेश के लिए पार्किंग मास्टर प्लान तैयार करने केलिए
2. विशाल कोच्ची प्रदेश केलिए एक एकीकृत सार्वजनिक परिवहन समाधान प्रणाली को विकसित करने के लिए।
3. कोच्ची शहर के लिए एक और मोटर चालित परिवहन मास्टर प्लान का मसौदा तैयार करने केलिए।

जल परिवहन

जलमार्ग सहित विशाल कोच्ची की अनोखी सुविधाओं का लाभ उठाने केलिए आपकी कंपनी कोच्ची में मेट्रो सहित शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ जल परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने की संभावना की तलाश कर रही है। कंपनी यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने केलिए और जेटियों में अनायास पहुँचने केलिए दूरस्थ द्वीपों में सड़कों और अच्छी तरह से प्रकाशित गलियाँ जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना चाहते हैं।

कंपनी ने कोच्ची में जलपरिवहन प्रणाली को पुनः सांप्रत्यक्तित किया और कोच्ची में एकीकृत जल परिवहन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वश्री यु एम टी सी को अधिकृत किया। फिलहाल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विचाराधीन है। परियोजना की अनुमानित लागत निजी सहभागिता सहित इसी बीच फ्रांकफर्ट में स्थित सरकार द्वारा नियंत्रित एक जर्मन विकास बैंक के एफ डब्ल्यू कोच्ची में आया और परियोजना की अनुमानित लागत की 80 तक निधीकरण करने की रुचि प्रकट की।

उद्यम संसाधन आयोजन

निर्धारित सुरक्षा नीतियों से आँकड़ों का भंडारण एवं बैंकअप को केन्द्रीकृत करने हेतु सभी विभागों में स्पष्टता एवं अच्छे सहयोग के लिए कंपनी ने एक उद्यम संसाधन आयोजन (ई आर पी) प्रणाली लागू किया। जिससे एक ही अप्लिकेशन में मुख्य कारबाह की प्रक्रिया एकीकृत कर सका और यह प्रणाली अधिक खर्च और कमियों को दूर कर सकता है। वरीय ई आर पी समाधान के रूप में एस ए पी (व्याख्या ई सीसी 60) की पहचान की। सर्वश्री सी एम सी लिमिटेड, कार्यान्वयन हिस्सेदार के रूप में कार्य का निष्पादन करता है।

मुख्य वित्तीय कार्यक्रम एवं परियोजना निधीकरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने पिछले साल के 2.70 करोड रुपये की क्षति के खिलाफ 0.18 करोड के कर बाद एक नेट क्षति बनाया है।

शेयर पूँजी और अधीनस्थ ऋण

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने इकिवटी की ओर 462.25 करोड रुपये प्राप्त किया(पिछले वर्ष 334 करोड रुपये)। इनमें से भारत सरकार से 312.25 करोड रुपये(पिछले साल 100 करोड रुपये) और केरल सरकार से 150 रुपये (पिछले साल 234 करोड़) को प्राप्त किये गये। 31 मार्च 2015 को कुल चुकता शेयर पूँजी 870.10 करोड रुपये हैं और उक्त तारीख में शेयर अप्लिकेशन मणी पैटिंग अलोटमेंट 56.45 करोड रुपये है। इसके अलावा, भारत सरकार ने केन्द्रीय करों की ओर व्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में 66.95 करोड रुपए (पिछले साल 25 करोड रुपये) दिए। और केरल सरकार ने केन्द्रीय करों की ओर उप कर्ज के रूप में 97 करोड रुपए दिए। दोनों सरकार से 31 मार्च 2015 तक 398.20 करोड रुपए (पिछले साल तक 234.25 करोड रुपये) के कुल अधीनस्थ ऋण प्राप्त किये। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक भारत सरकार से और केरल सरकार से क्रमशः प्रस्तावित इकिवटी निधीकरण के लगभग 57.72% और 65.21% प्राप्त किये हैं।

अवधि के कर्ज

वर्ष के दौरान भारत सरकार से एजेंसी फ्रांकेस डी विकास ऋण (ए एफ डी) के खिलाफ पास त्रू एसिस्टेस के रूप में 161.79 रुपये की एक रकम वापस ले ली थी। इस वर्ष के दौरान कैनरा बैंक से 220 करोड रुपये की ऋण की एक रकम वापस ले ली थी। आगे एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक से लंबी अवधि के ऋण के रूप में 470 करोड रुपये की एक रकम वापस ली थी। जिसके लिए केरल एक बैंक-टु-बैंक आधार पर ऋण सेवा कार्य शुरू किया है। जबकि चालू वर्ष के दौरान 104 करोड रुपये की शेष राशी वापस ली थी और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 366 करोड रुपये वापस लिए थे।

मानव संसाधन

कंपनी को अपने कुशल, गतिशील कर्मचारियों पर गर्व है। विभिन्न स्रोतों से अनुभवी व्यक्तियों को काम पर रखकर कंपनी अपनी क्षमता बढ़ाती है और भविष्य की आवश्यकता केलिए उन्हें अपनी कंपनी में ही रखते हैं। कंपनी विश्वास करते हैं कि कामपर प्रतिस्पर्धी लाभ और प्रोत्साहन केलिए मानव संसाधनों का सतत विकास आवश्यक है। निदेशक संसाधनों का सतत विकास आवश्यक है। निदेशक गण कंपनी के संचालन और रखरखाव केलिए 468 से अधिक पदों की मंजूरी दी है जिससे मंजूर किए गए व्यक्तियों की संख्या में 590 तक की वृद्धि होती है। इस के खिलाफ कंपनी के कर्मचारियों की संख्या रिपोर्ट की तारिख पर 68 संख्या की है। निर्धारित समय के अनुसार कंपनी का संचालन प्रारंभ करने केलिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ कंपनी को सज्जित करते हैं। इसके लिए कंपनी के संचालन और रखरखाव के लिए कर्मचारियों की भर्ति करते हैं।

चल रहे प्रतिभा विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कंपनी ने कर्मचारियों को नये और चुनौतिपूर्ण परिस्थितियों में काम करने को सज्जित करने केलिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्हें नियुक्त किया है। कर्मचारियों को नैतिक रूप से उच्च रखने केलिए इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कई मानव संसाधन नीतियों का निरीक्षण किए।

निदेशक गण

इस रिपोर्ट की तारीख पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक गण के अंतर्गत 12 निदेशक हैं उनमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा मनोनीत हैं, और 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा मनोनीत हैं और शेष 2 क्रियात्मक निदेशक हैं प्रबंधन निदेशक केरल सरकार के मनोनीत होते समय अध्यक्ष भी शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव हैं।

बोर्ड की बैठक की संख्या

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने चार बार बैठक चलायी यानि 9 मई 2014 को, 16 सितंबर 2014 को 20 जनवरी 2015 और 20 मार्च 2015 को। निदेशक मंडल की बैठक पर एक विस्तृत विवरण कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत दिए हैं।

बोर्ड की समिति

बोर्ड ने कंपनी के संचालन के अनुरूप आठ उपसमितियों की गठन किया है लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति, मानव संसाधन समिति, संचालन और रखरखाव समिति, परियोजना प्रबंधन समिति, निवेश समिति, प्रपण समिति और संपत्ति विकास समिति आदि यथासमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषय इन प्रत्येक समितियों द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया। समय समय पर कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक समिति की बैठक संपन्न होती है। बोर्ड की समितियों का विवरण भाग कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के तहत उपलब्ध कराए गए हैं।

निदेशक की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुरूप निदेशकों का विवरण

- * वार्षिक लेखाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण प्रस्थानों के संबंध में उचित व्याख्या के साथ प्रायोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया।
- * निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया गया और लगातार लागू करके उचित और विवेकपूर्ण अनुमान और निर्णय भी किए गए। इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की सच्ची और निष्पक्ष स्थिति दे सकी और उस समय के कंपनी का लाभ और नष्ट भी दे सका।
- * कंपनी की सुरक्षा केलिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने केलिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव केलिए निदेशकों ने उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था।
- * निदेशकों ने एक विकासमान विषय के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया था।
- * निदेशकों ने सभी लागू होनेवाले कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

अब बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

वार्षिक वापसी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के तहत दिए गए वार्षिक वापसी का सार निर्धारित प्रपत्र में एम.जी टी 9 इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कर्ज, प्रत्यांभूतियाँ और निवेश का विवरण

रिपोर्ट के तहत चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने (कॉरपरेटेड बड़ी)

(क) किसी व्यक्ति को या अन्य निगमित निकाय को कर्ज नहीं दिया है।

(ख) किसी व्यक्ति या कॉरपोरेट बॉडी को कर्ज के सिलसिले में कोई प्रतिभूति (सेक्यूरिटी) भी नहीं दिए हैं, और

(ग) धारा 186 के तहत निर्धारित किए किसी अन्य कॉरपोरेट बॉडी की प्रतिभूतियों को सदस्यता, खरीद या अन्य तरीकों के माध्यम से अधिग्रहित नहीं किया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

रिपोर्ट के तहत इस वर्ष के दौरान कंपनी ने धारा 188 की उपधारा (1) में प्रतिपादित संबंधित पार्टियों के साथ कोई ठेके या व्यवस्था नहीं किया है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने का कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण

कंपनी ऊर्जा दक्ष मेट्रो ट्रेन को चलाने केलिए राज्य के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करते हैं। कंपनी सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोतों की शुरुआत पर विचार कर रहे हैं। पारंपरिक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर कंपनी की निर्भरता कम करने केलिए अन्य ऊर्जा स्रोतों की शुरुआत करना चाहते हैं।

ऊर्जा की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रणालियाँ मेट्रो के डिब्बे में शामिल किया जाएगा।

* प्रणोदन प्रणाली के लिए वी वी वी एफ ड्राइव, ट्रेन के पवरिंग के दौरान ऑटिमाइस्ड ऊर्जा का उपयोग करता है और ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा को पुनः बनाता है।

* ऊर्जा दक्ष एल ई डी रोशनी

* एच वी ए सी प्रणाली को एक उच्च 2.5 की सी ओ पी मूल्य है जो सभी मौसम में विश्वसनीय और सक्षम है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

इस वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा की कमाई नहीं हुई थी। हालांकि 8.11 लाख रुपये के बराबर विदेशी पर्यटन की दिशा में खर्च किया गया था।

जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए संभावित जोखिम जो घटित होने से पहले पहचान करने में प्रतिबद्ध है। ताकि परियोजना चलाने के समस्त समय आक्रामक तरीके से जोखिम को प्रबंधित और कम कर सके।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य की महत्वपूर्ण जोखिम अनावृत्तियों की पहचान, उसका मूल्यांकन, मात्रा निर्धारिता और प्रबंधित किए हो।
2. यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिक रूप से उच्च जोखिम को आक्रामक तरीके से प्रबंधित और समाप्त हो।
3. यह सुनिश्चित करना है कि सभी जोखिम को आक्रामक तरीके से इस परियोजना में प्रभावी ढंग से प्रबंधित हो।
4. परियोजना की सफलता केलिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर किए फैसलों को सूचित करने केलिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर जानकारी साझा करने में बढ़ावा देने
5. लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना

आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने केलिए निम्नलिखित मात्राओं को अपनाया है :-

- * कंपनी सचिव, अपर महाप्रबंधक और कानूनी अधिकारी सभी लागू विधियों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक टीम का गठन किया।
- * त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा का आयोजन और उसमें लेखा परीक्षा समिति द्वारा टिप्पणियों की समीक्षा की जाती और जहाँ भी उचित पाया वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई ले लिया।
- * टीम ने नियमित अंतराल में संपत्तियों के भौतिक सत्यापन एक दल द्वारा गठित किया।
- * संचार और डेटा के भंडारण केलिए डेटा एनक्रिप्शन प्रणाली का प्रयोग, जो सुरक्षा और डेटा सुरक्षा से सुनिश्चित करता है।
- * जहाँ आवश्यक हो कंपनी की संपत्तियों का पर्याप्त बीमा प्राप्त करना

सावधि जमा

कंपनी अधिनियम 2013 के 5 अध्याय के तहत आपकी कंपनी ने जनता से कोई सावधि जमा को स्वीकार नहीं किया है।

कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

एक जिम्मेदार और उत्तरदायी कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते बड़े पैमाने पर कंपनी अपनी हितधारकों अर्थात् शोयरधारक, कर्मचारी प्रबंधन, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदाय के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी एक पर्यावरण अनुकूल मेट्रो के रूप में उभर रहा है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। कंपनी स्वेच्छा से जीवन स्तर में सुधार लाने केलिए और कोच्ची में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ावा देने केलिए अपने स्थापना के समय से पहल करने जा चुके हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने कोरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन किया गया है।

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. श्री. एलियास जार्ज | - अध्यक्ष |
| 2. श्री.मुकुंदकुमार सिंहा | - सदस्य |
| 3. श्री.एल.नरसिंह प्रसाद | - सदस्य |
| 4. श्री. अब्रहाम उम्मेन | - सदस्य |
| 5. श्री. महेषकुमार | - सदस्य |

हालांकि निर्गमित सामाजिक दायित्व को प्रति व्यय करने केलिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, इस रिपोर्ट के तहत इस वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित पहलुओं का प्रारंभ किया। आपकी कंपनी कोच्ची शहर में और आसपास ‘गो ग्रीन इनिशियेटिव’ के तहत पिछले साल में, 2159 पड़े लगाए। शहर सड़क का यात्रा अनुभव सतुष्टजनक होने के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध नवीनतम प्रदेयोगिकी का उपयोग कर 25 की.मी. की दूरी पर सड़क की सतह मज़बूत बनाया गया।

कंपनी इस वर्ष के दौरान लोगों की कठिनाइयों को कम करने केलिए जलनिकास साफ करने हेतु कोच्ची के पंजायतों और नगरपालिकाओं को धनराशी प्रदान की।

निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियाँ

क्रम सं	नियुक्त केलिए निदेशक के नाम	निदेशक के नाम सेवा निवृत्त/वार्धक्य निवृत्त/ इस्तीफा दे दिए	दिनांक
1.	श्री जितेन्द्रत्यागी	-	09-05-2014
2.	श्री.एल.नारसिंह प्रसाद	-	09-05-2014
3.	डॉ.एम.जी.राजमणिककम	-	09-05-2014
4.	श्री.शंकर अगरवाल	डॉ.सुधीर कृष्णा	16-09-2014
5.	डॉ.के.एम एब्राहाम	श्री.वी.सोमसुंदरम	16-09-2014
6.	श्री. वी.वीरेन्द्रकुमार जैन	श्री.सुधीर मित्तल	16-09-2014
7.	-	श्री. वीरेन्द्रकुमार जैन	20-01-2015
8.	श्री.मधुसूदन प्रसाद	श्री.शंकर अगरवाल	20-03-2015
9.	श्री.जिजी तोमसन	श्री. ई.के भरत भूषण	20-03-2015

इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों के कार्यालय अपरिवर्तित बने :

- * श्री एलियास जॉर्ज, प्रबंध निदेशक
- * श्री मुकुंद कुमार सिंहा
- * श्री.वी.जे कुरियन
- * श्री.एब्राहाम उम्मन
- * श्री. महेष कुमार
- * श्री. वेदमणी तिवारी

31 मार्च 2015 के बाद और रिपोर्टरीन की तारीख से पहले निर्देशन के क्षेत्र में हुए परिवर्तन निम्नानुसार है: -

- * 24 अप्रैल 2015 को श्री लाज कुमार (अतिरिक्त सदस्य) कार्य, रेलवे बोर्ड, ने निदेशक के रूप में बोर्ड पर कार्यभार संभाला (भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति)
- * 30 जून 2015 को निदेशक कार्यालय सिस्टेमस आॉफ दी कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

इस रिपोर्ट की तारीख पर कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कर्मियाँ निम्नलिखित हैं -

- * श्री एलियास जॉर्ज, प्रबंधकीय निदेशक
- * श्री एब्राहाम उम्मन, वित्त निदेशक
- * श्री महेषकुमार, निदेशक परियोजना
- * श्री.बी.अनिलकुमार, कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति

31 मार्च 2015 समाप्त वित्तीय वर्ष केलिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 111 के अनुसार, कंपनी के वित्तीय विवरण बताया गया है।

महत्वपूर्ण और मुख्य आदेश

कंपनी के विकासमान कारबार और इसके परिचालन को प्रभावित करने हेतु किसी भी महत्वपूर्ण और मुख्य आदेशों को नियामकों या किसी अदालतों या ट्रिब्युनेल द्वारा नहीं पारित किए गए।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने कंपनी के कारबार का क्रमबद्ध और कुशल संचालन सुनिश्चित करने केलिए मज़बूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। अर्थात् त्रुटियों और धोखाधियों का पता लगाने से लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करके और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण की प्रस्तुति से अपनी संपत्तियों को सुरक्षित किया।

निगम संचालन (कॉरपोरेट गर्वनेंस)

कंपनी अपनी सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही का पालन और त्रुटिहीन निगम संचालन मानकों का अनुसरण करते हैं। इस रिपोर्ट के साथ कॉरपोरेट गर्वनेंस रिपोर्ट नामक एक अलग रिपोर्ट संलग्न की है।

ऐसी एस आई के सचिवीय मानक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 23 अप्रैल 2015 को निदेशक मण्डल की बैठकों (एस-1) और आम बैठकों (एस-एस-2) पर I जुलाई 2015 से प्रभावी सचिवीय मानकों को अधिसूचित किया है। कंपनी उपर्युक्त मानकों का पालन करते हैं।

लेखा कार

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013, धारा 139 के अनुसार भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा (सी व एजी) सर्वश्री वर्गास एवं कं., सनदी लेखापाल को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए, जो अगले वार्षिक आम बैठक के समापन तक कार्यालय में जारी करेगा।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किसी भी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013, धारा 204 के प्रवधानों के अनुसार वर्ष 2014-15 केलिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने केलिए कंपनी सचिव, सर्वश्री गोपीमोहन सतीशन एवं एसोसियेट्स को नियुक्त किए गए। सचिवीय कार्यरत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी सचिव द्वारा सभी योग्यताओं पर दिए विवरण और टिप्पणियाँ भी उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न किए हैं।

अन्य विवरण

कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम पर कंपनी को अपनी नीति है। कंपनी अधिनियम 2013 ने कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। निम्नलिखित सदस्य समिति का कार्यभार संभालेंगे, महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित अगर कोई शिकायत हो तो, उस पर गौर करने के लिए और यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण में काम करने की सुविधा प्रदान करने केलिए इस समिति का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना निम्नानुसार है :

श्रीमती सूसन सोलमन थोमस	-	अधिष्ठाता
डॉ. लिजाम्मा कोशी	-	बाहरी सदस्य
		विभागाध्यक्ष (रसतंत्र)
		महाराजास कॉलेज , एरणाकुलम
श्रीमती लिल्लीकुट्टी राजू	-	सदस्य
डॉ. ए.जे अगस्टिन	-	सदस्य और संयोजक

योन उत्पीड़न का कोई मामला आलोच्य वर्ष के दौरान नहीं सूचित किया है।

आभारोक्ति

निम्नलिखित माननीय व्यक्तियों संस्थानों और सरकार द्वारा दिए गए सहायता केलिए कंपनी को निदेशक मंडल अपने आभार प्रकट करना चाहते हैं। केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी वर्ग नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक, ए एफ डी , के एफ डब्ल्यू, कैनरा बैंक, एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक, अन्य व्यावसायिक बैंक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, प्रिंट और दृश्य माध्यम , कंपनी के विकेताओं, सलाहकारों ग्राहकों और कंपनी के मामलों के साथ जुड़े हुए सभी दूसरों और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं। कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा दिए गए खुले सहकारिता और प्रतिबद्धता पर भी बोर्ड आभार है।

निदेशक मंडल केलिए और उसकी ओर से

(हस्ताक्षरित)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त 2015

वार्षिक प्रत्यागमन का (फार्म एम जी टी 9)

31 मार्च 2015 तक समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के आधार पर
 (कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 92 (3) और कंपनी नियम 2014 के 12 (1) के
 अनुरूप (अनुशासन और प्रशासन))

I पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i. संयुक्त संस्था का पहचना नंबर, सी आइ एन	:	U60100KL2011SGC029003
i i. पंजीकरण की तारीख	:	02/08/2011
i i i. कंपनी का नाम	:	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
i v. कंपनी के विभाग / उपविभाग	:	सार्वजनिक कंपनी
V. पंजीकृत कार्यालय के पता	:	रेवन्यू टॉवर, आठवाँ मंजिल सुभाष पार्क के सम्मुख कोच्ची, केरल, भारत ,पिन - 682011
और संपर्क का विवरण		दूरभाष - + 91484 2380980 फैक्स - +914842380686
यदि सूचिपत्रित कंपनी	:	ईमेल : contactus@kmrl.co.in
यदि कुलसचिव और स्थानांतरण		वेबसाइट www.kochimetro.org
ऐजन्ट है तो नाम, पता एवं		नहीं
संपर्क विवरण	:	नहीं

II कंपनी के मुख्य कार्य व्यापार

सभी व्यापार कंपनी के कुल हेर-फेर के 10% या उससे ज्यादा देने करते हुए देखा जा सकता है।

क्रम.संख्या	मुख्य उपज के नाम और विवरण / सेवा	उपज के एन आइ सी कोड / सेवा	कंपनी के कुल हेर फेर के प्रतिशत
अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी अभी परियोजना की स्थिति में है और उसका कार्य व्यापार अभी शुरू होना है।			

III. वर्तमान नियंत्रित, सहायक एवं सहचारी कंपनियों का विवरण

कंपनी के साथ कोई नियंत्रक, सहायक एवं सहचारी कंपनी नहीं है।

IV शेयरधार की नमूना (कुल न्याय के प्रतिशत से न्याय शेयर पूजी अलाव)

i) वर्गानुसार शेयरधारण

शेयर धारियों के वर्ग	वर्ष के आरंभ में हुए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में हुए शेयरों का नंबर				% परिवर्तन वर्ष के दौरान
	भैतिक	शारीरिक	कुल	% कुल शेयर	भैतिक	शारीरिक	कुल	% कुल शेयर	
अ. समर्थक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क. व्यक्तिगत /एच युएफ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. केंद्र सरकार		1,07,50,000	1,07,50,000	50		4,35,05,000	4,35,05,000	50	304.70
ग. राज्य सरकार(एस)		1,07,50,000	1,07,50,000	50		4,35,05,000	4,35,05,000	50	304.70
घ. संयुक्त संस्थ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च. बैंक/एफ आइ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

उप कुल : (अ)(1)	-	2,15,00,000	2,15,00,000	100	-	8,7010,000	8,70,10,000	100	304.70
(2) विदेशी									
क. एन आर आई व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. अन्य व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. संयुक्त संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. बैंक / एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल (अ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समर्थक के कुल शेयरधारण	-	2,15,00,000	2,15,00,000	100	-	8,7010,000	8,70,10,000	100	304.70
अ= (अ) (1)+(अ) (2)									
आ. सार्वजनिक शेयरधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) यूनिट ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) बैंक या एफ आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) जोखिम पूँजी राशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(छ) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज) एफ आई आइ एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(झ) विदेशी जोखिम पूँजी राशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य (विशेष रूप से उल्लेख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल (आ) (1)									
(2) असंस्थागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(क) संयुक्त संस्था	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) ओवरसीस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत									
शेयरधारक द्वारा नाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मात्र केलिए रु.एक									
लाख तक शेयर पूँजी									

व्यक्तिगत शेयरधारक द्वारा अतिरिक्त शेयर पूँजी नाम मात्र केलिए	-	-	-	-	-	-	-	-	
रु. 1 लाख तक	-	-	-	-	-	-	-	-	
ग) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल (आ) 2	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल सार्वजनिक शेयरधारण									
(आ)(1) (आ)+(आ) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
इ. जी डीआर एस & ए डी आर एस केलिए									
अभिरक्षक द्वारा शेयरधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल मिलाकर									
(अ+आ +इ)	-	2,15,00,000	2,15,00,000	100	-	8,70,10,000	8 ,70,10,000	100	304.70

ii) समर्थकों के शेयरधारण

क्रम सं.	शेयरधारियों का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			इस वर्ष के दौरान शेयर धारण में आये परिवर्तन के %
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों के %	कुल शेयरोंके साथ/ अटकाये अटकाये शेयरों के %	शैयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों के %	कुल शेयरों के साथ गिरवी / अटकाये शेयरों के %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	1,07,50,000	50	-	4,35,05,000	50		304.70
2.	केरल के राज्यपाल	1,07,50,000	50	-	4,35,05,000	50		304.70
	कुल	2,15,00,000	100	-	8,70,10,000	100		304.70

iii) समर्थकों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उसका उल्लेख करें)

क्र. सं	समर्थकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान उत्तरेतर बढ़नेवाला शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	भारत के राष्ट्रपति	1,07,50,000	50		
	केरल के राज्यपाल	1,07,50,000	50		
	कुल	2,15,00,000	100		
	शेयरधारण में परिवर्तन				
1.	भारत के राष्ट्रपति 9 मई 2014 (बंटवारा)	15,30,000	6.23	1,22,80,000	50
2	केरल के राज्यपाल 9 मई 2014 (बंटवारा)	15,30,000	6.23	1,22,80,000	50
3.	भारत के राष्ट्रपति 16 सितंबर 2014 (बंटवारा)	1,97,00,000	30.80	3,19,80,000	50
4.	केरल के राज्यपाल 16 सितंबर 2014 (बंटवारा)	1,97,00,000	30.80	3,19,80,000	50
5.	भारत के राष्ट्रपति 20 जनवरी 2015 (बंटवारा)	36,43,000	5.11	3,56,23,000	50
6.	केरल के राज्यपाल 20 जनवरी 2015 (बंटवारा)	36,43,000	5.11	3,56,23,000	50
7.	भारत के राष्ट्रपति 20 मार्च 2015 (बंटवारा)	78,82,000	9.06	4,35,05,000	50
8.	केरल के राज्यपाल 20 मार्च 2015 (बंटवारा)	78,82,000	9.06	4,35,05,000	50
	वर्ष के अंत में	-	-		
	भारत के राष्ट्रपति	-	-	4,35,05,000	50
	केरल के राज्यपाल	-	-	4,35,05,000	50
	कुल	-	-	8,70,10,000	100

iv) सबसे श्रेष्ठ दस शेयरधारकों के शेयरधारण का नमूना (जीडी आर एस और एडी आर एस के धारकों, निदेशकों एवं समर्थकों के अतिरिक्त

क्र. स	सबसे श्रेष्ठ दस शेयरधारकों में प्रत्येक केलिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान उत्तरेतर बढ़नेवाला शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में तारीख के अनुसार बढ़ती / वर्ष के दौरान शेयरधारण में घटती बढ़ती के कारणों का उल्लेख / घटती (उदा: बंटवारा/ तवादला/बोनस/				
	बंटवारा का परिश्रम आदि) वर्ष के अंत में (या पृथकरण तारीख पर यदि वर्ष के दौरान पृथक हो गया तो)				

v) निदेशकों और कर्मचारी संबंधी प्रबंधक कुंजीके शेयरधारण

क्रम. संख्या	प्रत्येक निदेशक और के एम पी के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर बदलनेवाला शेयरधारण	
		शेयरोंकी संख्या	कंपनीके शेयरके %	शेयरोंकी संख्या	कंपनीकुल शेयरके %
1.	डॉ. सुधीर कृष्णा				
	वर्ष के आरंभ में	1	-	-	-
	स्थानांतरण - 16-09-2014				
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
2.	श्री. वी. सोमसुदर्शन				
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
	स्थानांतरण 16-09-2014	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में				
3.	श्री. सुधीर मिताल				
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
	वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
4.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
5.	श्री. जितेन्द्र त्यागी				
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
6.	श्री. एलियास जॉर्ज				
	वर्ष के प्रारंभ में	2	-	-	-
	वर्ष के अंत में	2	-	-	-
7.	श्री. वी. जेकुरियन				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
8.	श्री शेख परीद				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	-	-
9.	श्री. डी.डी.डी. पहूजा				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-
10.	श्री. एस.डी. शर्मा				
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

11.	श्री. ई.के. भारत भूषण					
	वर्ष के प्रारंभ में	1	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 20-03-2015	1	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
12.	श्री. एल. नरसिंह प्रसाद					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	1	-	-
13.	डॉ. एम. जी राजमाणिककम					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 09-05-2014	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	1	-	-
14.	डॉ. एम. एब्राहाम					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 16-09-2014	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	1	-	-
15.	श्री. शंकर अगरवाल					
	वर्ष के प्रारंभ में					
	स्थानांतरण - 16-09-2014	1	-	1	-	-
	स्थानांतरण - 20-03-2015	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में					
16.	श्री. मधुसूदन प्रसाद					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 20-03-2015	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	1	-	-
17.	श्री. जिजी तोमसन					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	स्थानांतरण - 20-03-2015	1	-	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	1	-	-
18.	श्री. वीरेन्द्रकुमारजैन					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
19.	डॉ एब्राहाम उम्मन					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
20.	श्री. महेशकुमार					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
21.	श्री. वेदमणितिवारी					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
22.	श्री. बी. अनिलकुमार					
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-

नोट : सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में निदेशक शेयर धारण करते हैं

V कंपनी के ऋण जिसके अंतर्गत विशिष्ट सूद / लाभ या बढ़ौती है लेकिन भुगतान केलिए देय नहीं

(रु. लाखों में)

	सुरक्षित उधार के अलावा	असुरक्षित उधार	धरोहर	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के ऋण				
i) पूंजीराशी	-	23,425.00	-	23,425.00
ii) सूद देय है लेकिन नहीं दिया	-	-	-	-
iii) सूद बढ़ा लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
कुल (i + ii +iii)	-	23,425.00	-	23,425.00
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण में परिवर्तन				
जोड़	74,709.00	16,395.00	-	91,174.00
कमी	-	-	-	-
यथार्थ परिवर्तन	74,779.00	16,395.00	-	91,174.00
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण				
i) पूंजी राशी	74,799.00	39,820.00	-	1,14,599.00
ii) सूद देय लेकिन दिया नहीं	-	-	-	-
iii) सूद बढ़ा लेकिन देय नहीं	101.59	-	-	101.59
कुल (i + ii +iii)	74,880.59	39,820.00	-	1,14,700.59

VI निदेशक एवं कर्मचारी संबंधी प्रबंधकों का वेतन

अ. प्रबंध निदेशक, संपूर्ण समय निदेशक / या प्रबंधक केलिए वेतन प्रबंध निदेशक / संपूर्ण निदेशक / प्रबंध निदेशक का नाम

	वेतन संबंधी विवरण	श्री.एलियास जार्ज (एम.डी)	श्री.एब्रहाम उम्मन (WTD)	श्री.महेश कुमार(WTD)	श्री. वेदमणि तिवारी	कुल राशी
1.	ठोस वेतन (अ) आयकार 1961 के अनुभाग 17(1) में चर्चित योजनानुसार वेतन	-	24,30,324	22,22,064	25,68,346	72,20,734
	(आ) आयकार 1961 के अधिनियम 17(2) के अनुलाभ का मूल्य	-	16,800	1,32,600	1,92,600	3,42,000
	(इ) आयकार अधिनियम 1961 के अनुभाग 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-
2.	रखवाली की सुविधा	-	-	-	-	-
3.	न्यायपूर्ण परिश्रम	-	-	-	-	-
4.	कमीशन लाभ के लाभ के % के अनुसार अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-	-
	कुल (3)	-	24,47,124	23,54,664	27,60,946	75,62,734
	अधिनियम के अनुसार उँचाई	-			ज़रूरत नहीं	

सूचना : प्रबंध निदेशक का वेतन केरल सरकार द्वारा देते हैं। वेतन के सभी मूलतत्व वेतन और अनुलाभ में सम्मिलित हैं। उदाः वेतन, भत्ता और लाभ कोई लाभांश, पेंशन या प्रस्तुतीकरण से संबंधित प्रलोभन आदि का भुगतान किसी निदेशक को नहीं देती कंपनी किसी भी निदेशक को कोई रखवाली की सुविधा नहीं देती

(अ) अन्य निदेशकों का वेतन

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने अकार्यकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया है।

(आ) एम.डी / प्रबंधक / WTD के अतिरिक्त कर्मचारी संबंधी विभाग के प्रबंधकों का वेतन

क्र	वेतन संबंधी विवरण	सीइओ	कंपनी सचिव बी.अनिलकुमार	सीएफओ	कुल
1.	ठोस वेतन				
	(अ) आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 17 (1) के नियमानुसार वेतन	-	13,19,960	-	13,19,960
	(आ) आयकर अधिनियम 1961 इ) 17(2) के अनुलाभ का मूल्य		-	-	-
	ई) आयकर अधिनियम 1961 के अनुभाग 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ		-	-	-
2.	रखवाली की सुवाधा		-	-	- -
3.	न्यायपूर्ण परिश्रम	-	-	-	-
4.	कमीशन लाभ के % के अनुसार अन्य (उल्लेख करें)	- - -	- - -	- - -	- - -
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल	-	13,19,960		13,19,96

VII जुर्माना / दण्ड / अपराध के योग :

2014 -15 वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई जुर्माना / दण्ड अपराध के योग नहीं था।

फार्म नं.एम आर -3
सांचिविक लेखा रिपोर्ट

31 मार्च 2015 तक समाप्त वित्तीय वर्ष

सेवा में

सदस्य

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

हम ने कोच्ची रेल लिमिटेड के लगाव एवं संयुक्त अनुभवों द्वारा सांविधिक व्यवस्था के स्वीकृति का सांचिविक लेखा का प्रबंध किया था (बाद में कंपनी कहा गया)। सांचिविक लेखा परीक्षण का प्रबंध इस प्रकार किया था कि हमें संयुक्त संस्था के संपर्क/ सांविधिक स्वीकृति का मूल्यांकन करके उस पर अपना मत प्रकट करने का स्वाभाविक आधार प्रदान किया था।

कंपनी द्वारा कायम रखे किताबें, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और आय पर दाखिल किये रिपोर्ट और साथ ही कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य सूचनाएं, सांचिविक लेखा परीक्षण के दौरान अन्य अधिकारियों, एजन्टों, प्रामाणिक प्रतिनिधियों के आधार पर हमने जो परीक्षण किया उसके मुताबिक हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी लेखा परीक्षण के समय 31 मार्च 2015 तक वित्तीय वर्ष का समाप्त भी हुआ जो कंपनी के सांचिविक व्यवस्था के अनुसार ही हुआ और इसके साथ यह भी है कि कंपनी को उचित बोर्ड की प्रक्रियायें और स्वीकृत यंत्र रचनायें उचित रूप से हैं।

प्रस्तुत कंपनी का कोई सूचित अस्तित्व नहीं है अतएव सुरक्षा और भारत बोर्ड के अधिनियम 1992 में बदलाव विभिन्न प्रकार के नियम और कानून उसके अंतर्गत बनाने की ज़रूरत नहीं है।

हम ने कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था, उनके अंतर्गत बनाये हुए नियम और कंपनी केलिए लागू अन्य कानून के आधार पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा कायम रखे किताबें, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और आय पर दाखिल किए गए रिपोर्ट और अन्य रिकार्डों का परीक्षण किया गया।

पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत अवधि के दौरान कंपनी के अधिनियम, नियम, निर्देशरेखा आदि की व्यवस्था के अनुसार पालन किया है/उपयुक्त विषय निम्नलिखित निरीक्षण केलिए हैं :-

1) कंपनी अधिनियम के अनुभाग 149(6) के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और अधिनियम के अनुभाग 177(3) के अंतर्गत आवश्यक लेखा समिति को स्वतंत्र निदेशकों के साथ पुनः संगठित नहीं किया है।

(2) कंपनी के निदेशक सदस्यों के दूसरे और तीसरे बैठकों के बीच के समय को अनुभाग 173(1) के व्यवस्था के आदेश को पार करके 120 दिन कर देना स्वीकार नहीं किया।

(3) मण्डली ने कुछ निदेशकों के रुचि के मुताबिक इसे रिकोर्ड नहीं बनाया इसलिए कंपनी अधिनियम के अनुभाग 184(1) के व्यवस्था के अनुपालन नहीं किया।

शाखाएँ :कालिकट, पालक्काड, कण्णूर और तिरुवनंतपुरम।

(4) कंपनी जागरण यंत्र रचना को स्थापित नहीं किया जो अधिनियम के अनुभाग 177(9) के अंतर्गत आवश्यक है।

अन्य कानून जैसे अधिनियम जो कर्मचारी और मजदूर नियमों से संबंधित हो, हित और कर्म से संबंधित, विशिष्टता या कंपनी केलिए आवश्यक है, अपने लेखा परीक्षा के दौरान हमें कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/ रिकार्ड से प्राप्त हुआ और रिपोर्ट वहाँ तक सीमित है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

निम्नलिखित नियम 2014-2015 वित्तीय वर्ष के दौरान जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है।

1. कंपनी(ग्लोबल भण्डार रसीदें) नियम, 2014 के मुताबिक प्रस्तुत कंपनी ऐसी कोई ग्लोबल भण्डार रसीदों का वितरण नहीं किया है।

2. कंपनी नियम (विवरण पत्रिका और सुरक्षा वितरण) के अनुसार प्रस्तुत कंपनी विवरण पत्रिका वितरण के द्वारा न्यायपूर्ण शेयर का वितरण नहीं किया है।

3. कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) 2014 के मुताबिक प्रस्तुत कंपनी कोई धरोहर स्वीकार नहीं किया है।

4. कंपनी नियम (जांच पड़ताल, निरीक्षण और पूछताछ) 2014, के अनुसार कंपनी के कार्यों पर ऐसा कोई जांच पड़ताल, निरीक्षण और पूछताछ का आदेश नहीं दिया है।

5. कंपनी नियम (लाभांश की घोषणा और भुगतान) 2004, इस अवधी के दौरान कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

उपर्युक्त निरीक्षण के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी ने निम्नलिखित नियमों को स्वीकार किया:

1. कंपनी नियम 2014(प्रबंधन और प्रशासन)
2. कंपनी नियम 2014 (लेखा)
3. कंपनी नियम 2014 (संयुक्त सामाजिक दायित्व पॉलिसी)
4. कंपनी 2014 (निदेशकों की योग्यता एवं नियुक्ति)
5. कंपनी नियम 2014 (बोर्ड की बैठक और उसका अधिकार)
6. कंपनी नियम 2014 (कर्मचारी विभाग संबंधी प्रबंधकों की नियुक्ति और वेतन)
7. कंपनी नियम 2014 (शेयर पूँजी और ऋण पत्र)
8. कंपनी नियम 2014 (लेखा और लेखपाल)

उपर्युक्त निरीक्षण के अनुसार पुनरीक्षण के अंतर्गत अवधी के दौरान निदेशक मण्डल में परिवर्तन का कार्य अधिनियम की व्यवस्था के साथ स्वीकार किया गया।

सभी निदेशकों को मण्डल बैठक से संबंधित पर्यात सूचना दिया गया, अजेन्डा और अजेन्डा पर विस्तृत सूचना कम से कम सात दिन पहले और बैठक से पहले अजेन्डा के ऊपर आगे की सूचनाएँ स्पष्टीकरण और बैठक को अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से पूरी व्यवस्था कायम करती थी।

सभी निर्णय बोर्ड की बैठकों में लिया जाता है और उसे कार्यवृत्त में सुव्यवस्थित रिकार्ड करके रखता है। हम पुनः रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के रूप और प्रक्रिया को रिपोर्ट करने एवं सुरक्षित रखने योग्य कानून, नियम, नियमित्यान और मार्ग निर्देश आदि को स्वीकार किया है।

स्थान : एरणाकुलम

दिनांक : 10.08.2015

गोपीमोहन सतीशन & एसोसियोट्स

(हस्ताक्षर)

के.पी गोपीमोहन

सहभागी

एफ सी एस नं.7110

सी पी नं.2912

कंपनी सचिव अपने अनुभवों से उनके सांचिविक लेखा रिपोर्ट में बनाये गए हरेक योग्यता पर बोर्ड द्वारा प्रस्तुत विवरण या टिप्पणियाँ

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 149(6) के अधीन माँगे स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति।

कंपनी ऐसे योग्य व्यक्ति को पहचान कर नियुक्ति की खोज प्रक्रिया में रही है जो बोर्ड के सोच विचारों का मूल्य लगा दें। आपके कंपनी के निदेशक बहुत ईमानदार हैं और वे बोर्ड केलिए स्वतंत्र निदेशक को जितनी जल्दी हो सके, नियुक्त करने की कोशिश में हैं। एक बार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाय तो कंपनी अधिनियम 2013 उपधारा 177(2) के अधीन लेखा परीक्षण समिति पुनः संगठित की जायेगी।

(2) कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 173(1) व्यवस्था के साथ अस्वीकृति

आपके कंपनी के निदेशक वर्ष में चार बार मिलते हैं और तृतीय बैठक को छोड़कर बाकी सभी बैठक कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन तैयार किये समय परिधि में ही था। तृतीय बैठक बोर्ड द्वारा निर्धारित समय परिधि के अंदर नहीं कर सका क्योंकि निदेशकों के ऊपर अन्य औद्योगिक दबाव था जो टाल नहीं सकता था। तृतीय बैठक बोर्ड मीटिंग के तीन दिन पहले ही किया था।

(3) कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 184(1) व्यवस्था के साथ अस्वीकृति

कंपनी के कुछ निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो व्यवस्था बतायी गयी है उस पर उनकी जो रुचि है वह व्यक्त नहीं कर पाया। वे थोड़े ही समय केलिए कंपनी के बोर्ड में थे इसलिए बोर्ड उनकी टिप्पणी नहीं प्रकट कर सका। जो निदेशक वित्तीय वर्ष के अंत तक बोर्ड में थे वे कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था के मुताबिक अपना संकेत सही रूप में प्रकट किया है।

4) कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 177 (9) के अनुसार जागरण यंत्ररचना की स्थापना आपकी कंपनी एक जागरण यंत्र रचना की स्थापना की प्रक्रिया में है जिसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी ही स्थापित करेगी।

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड के एम आर एल के निगमित अभिशासन पॉलिसी कोच्ची शहर केलिए सुतार्यता, लेखादेयता और स्पष्ट लेन देन के मानक तथा सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल व्यवहार्य और उपभोक्ता केलिए अनुकूल मोट्रो प्रणाली सुनिश्चित करते हुए दोषरहित निगमित अभिशासित कार्यों के पालन के दर्शनशास्त्र से विकसित है। के एम आर एल उच्च स्तर के नीतिपरक, ईमानदारी को महत्व और काम चलानेवाले अखाडे पर विश्वास आदि प्रेरणा देनेवाली क्रिया पर ज़ोर देते हैं।

के एम आर एल की प्रक्रियाओं का सीवीसी मार्गरेखाएं, कंपनी के संयुक्त लागू नियम (AOA) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान मानक लागू लेखाकरण, सी एन्ड ए जी जैसे प्राधिकृत द्वारा निर्धारित नियमन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तथा उसके अधीन बताए नियम के प्रावधानों का भी अनुसार होता है। इसके साथ साथ सभी अनुयोज्य कानून संगठन के कार्यक्रमों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिस्थिति, कर्मचारियों का कल्याण, ठेकेदार, मूल्यों की क्षतिपूति, परियोजना से प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के पुनः प्रतिष्ठापन एवं नियमन आदि की भी देखभाल कंपनी करती है।

निदेशक मण्डल

रिपोर्टधीन तारीख तक कोच्ची मेट्रो केरल लिमिटड के निदेशक मण्डल में 12 निदेशक हैं उनमें से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त हैं 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा नियुक्त और 2 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव है, प्रबन्ध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित है।

रिपोर्टधीन तारीख तक के एम आर एल मण्डल का गठन

1. श्री मधुसूदन प्रसाद	-	अध्यक्ष
2. श्री. मुकुन्द कुमार सिन्हा	-	निदेशक
3. श्री. लज्जुकुमार	-	निदेशक
4. श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	निदेशक
5. श्री. एल. नरसिंह प्रसाद	-	निदेशक
6. श्री. जिजी तोमसन	-	निदेशक
7. श्री. एलियास जॉर्ज	-	प्रबन्ध निदेशक
8. डॉ. के एम. एब्रहाम	-	निदेशक
9. श्री. वी.जे. कुरियन	-	निदेशक
10. डॉ.. एम.जी. राजमाणिकम	-	निदेशक
11. श्री. एब्रहाम उम्मन	-	निदेशक (वित्त)
12. श्री. महेष कुमार	-	निदेशक (परियोजना)

दोनों सरकार द्वारा प्राप्त नामांकनों के आधार पर पुनर्निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को भी शामिल किया गया है:

1. श्री. जितेन्द्र त्यागी, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
2. श्री. एल.नरसिंह प्रसाद, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
3. डॉ. एम.जी.राजमाणिकम, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार
4. श्री. शंकर अगरवाल, मनोनीत निदेशक & अध्यक्ष, भारत सरकार
5. डॉ. के.एम एब्रहाम, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार

6. श्री.वीरेन्द्र कुमार जैन, मनोनीत निदेशक, भारत सरकार
7. श्री. मधुसूदन प्रसाद, मनोनीत निदेशक & अध्यक्ष, भारत सरकार
8. श्री. जिजी तोमसन, मनोनीत निदेशक, केरल सरकार

सराहना टिप्पणी

बोर्ड निदेशकों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं तथा डॉ.सुधीर कृष्णा, अध्यक्ष से प्राप्त बहुमूल्य एवं अनुभवी उपदेशों को दर्ज करता है जो अपने कार्यालय से पदत्वाग देकर ऐम औ युडी के सचिव के रूप में कार्य करता है और श्री.शंकर अगरवाल अध्यक्ष जिनको सचिव (उद्योग) के रूप में तबादला देने पर अध्यक्ष का पद समाप्त करना पड़ा। पुनर्निरीक्षण के तहत निम्नलिखित निदेशक का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त हुआ है :-

1. श्री. वी. सोमसुंदरम (16.09.2014 तक)
2. श्री. सुधीर मितल (16.09.2014 तक)
3. श्री. वीरेन्द्र कुमार जैन (20.01.2015 तक)
4. श्री. इ.के. भारत भूषण (20.03.2015 तक)

कंपनी के निदेशक मण्डल अपने लक्ष्य तक पहुँचने केलिए योग्य प्रशासनिक एवं कार्य करने की क्षमता रखनेवाले विदग्ध व्यक्तियों को सम्मिलित किया है जो कंपनी के व्यापारों को एकीकृत करके मार्गदर्शन करते हैं।

निदेशकों की उपस्थिति रिकार्ड:-

क्रम सं	निदेशक का नाम	उनके निदेशनकाल 2014-15 में चलाई बैठक	बैठक में उपस्थित	उपस्थित एजी ऐम
1.	डॉ.सुधीर कृष्णा	1	1	नहीं
2.	श्री.शंकर अगरवाल	2	2	नहीं
3.	श्री मधुसूदन प्रसाद	1	1	नहीं
4.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	4	4	नहीं
5.	श्री. सुधीर मिताल	1	1	नहीं
6.	श्री.जितेन्द्र त्यागी	4	3	नहीं
7.	श्री. एल नरसिंह प्रसाद	4	3	नहीं
8.	श्री. वीरेन्द्र कुमार जैन	1	1	नहीं
9.	श्री. इ.के.भारत भूषण	3	1	नहीं
10.	श्री. जिजी तोमसन	1	0	नहीं
11.	श्री.एलियासजार्ज	4	4	नहीं
12.	श्री.वी.सोमसुंदरन	1	0	नहीं
13.	डॉ.के.एम.एब्रहाम	3	0	नहीं
14	श्री.वी.जे.कुरियन	4	1	नहीं
15.	डॉ.एम.जी.राजमाणिककम	4	2	हाँ
16.	श्री. एब्रहाम उम्मन	4	4	हाँ
17.	श्री. महेश कुमार	4	4	हाँ
18.	श्री. वेदमणी तिवारी	4	4	हाँ

बोर्ड के दी गई सूचना

प्रत्येक बैठक से पहले कंपनी के कामों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं और प्रस्तावों को जिनका बोर्ड की अनुमति की ज़रूरत है बोर्ड के सम्पूर्ण प्रस्तुत किया, विशेषकर जिन्हें उच्च स्तर पर सोच विचार की ज़रूरत है। समय समय पर कार्यात्मक निदेशकों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुतीकरण तैयार करके बोर्ड को देते हैं।

बोर्ड की प्रक्रियाएँ

कंपनी के उपलब्धियों को गंभीर मूल्यांकन और पिनर्नीरीक्षण करने और प्रबंधकों के निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने केलिए लगातार बोर्ड की बैठकों को आयोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल 9 मई 2014, 16 सितंबर 2014, 20 जनवरी 2015 और 20 मार्च 2015 आदि दिनों में चार बार मिले।

कंपनी बोर्ड की बैठकों और उसके उपसमितियों की बैठकों की प्रक्रियाओं केलिए मार्गरेखा तैयार किया है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

अ) बोर्ड/ समिति की बैठकों केलिए कार्यसूची का चयन करना एवं योजना बनाना

* बैठक बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति को देखते हुए उचित रूप से सूचना देने के बाद ही आयोजित करते हैं। यदि कोई ज़रूरी, विशेष बात है तो कम समय की सूचना देकर भी बैठक बुलाते हैं। बोर्ड परिभ्रमण द्वारा प्रस्ताव प्रकाशन की अनुमति देते हैं लेकिन सिर्फ ऐसे विषयों केलिए देंगे जो बहुत गंभीर एवं कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अनुवदनीय हों।

* कार्यसूची की कागजातें प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार करके प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करते हैं। बैठकों को अर्थपूर्ण, सूचित और विषय केंद्रित निर्णय बनाने केलिए पहले ही सदस्यों के बीच उचित रूप से अनुमति प्राप्त कार्यसूची की टिप्पणियाँ, प्रबंधन के रिपोर्ट और अन्य विवरणात्मक रिपोर्ट, पूर्व विस्तृत सूचनाएं आदि का वितरण करते हैं।

* विशिष्ट एवं अलग परिस्थितियों में इनके अलावा अतिरिक्त विषय (एस) जो कार्यसूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा केलिए रख देते हैं।

* पुराने बैठकों में बोर्ड द्वारा की गई प्रवृत्तियों के स्तर का पुनर्नीरीक्षण भी कार्यसूची की हिस्सा रहेगी।

* बोर्ड के सदस्य कंपनी सं संबंधित सभी सूचनाएँ रखते हैं।

* साथ ही बोर्ड की बैठकों का आयोजन सांचिविक स्तर के अनुयोज्य होता है।

आ) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षेपण

बोर्ड के प्रत्येक बैठकों की शुरुआत में प्रबंधनिदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना के विकास एवं स्तर और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के अन्य महत्वपूर्ण कामयाबी / विकास के बारे में संक्षिप्त रूप में बताते हैं।

इ) बोर्ड के बैठकों की प्रक्रियाओं के कार्यवृत्तों का अभिलेखन

प्रत्येक बोर्ड की प्रक्रियाओं का अभिलेखन करके कार्यसूची में दर्ज करते हैं। बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और आवश्यक सांचिविक स्तर के अनुसार परिभ्रमण करते हैं। बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद समीकरण केलिए अगले बैठक में रखते हैं। बोर्ड के सामने बोर्ड की उपसमिति के बैठक के कार्यवृत्त की सूचना भी रखते हैं।

ई) स्वीकृति

विभागाध्यक्ष को कार्यवृत्त की सूचनायें तैयार करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि सभी सांचिविक आवश्यकतायें कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान एवं सहयोग के अलेख और सी वी सी मार्गरेखा के अन्तर्गत आ रहे हैं कि नहीं।

कंपनी के कर्मचारी को अपना कर्तव्य, दायित्व प्रदान करते वक्त कंपनी द्वारा अनुमति प्राप्त और स्वीकृत कोड को आगे बढ़ाना है। वे संयुक्त संस्था के प्रक्रियाओं में उच्च नैतिक मूल्यों को बनाये रखते हैं और प्रबंधकों से समय-समय पर उचित मार्ग निर्देश लेकर श्रेष्ठ शासनयोग्य अनुभवों केलिए मदद करते हैं। बोर्ड की बैठकें

बोर्ड ने आठ उप समितियों को रूप दिया जो कंपनी के प्रक्रिया के समान आकार एवं प्रकृति का है। वे हैं लेखा परीक्षा समिति, संयुक्त सामाजिक दायित्व समिति, मानव संसाधन समिति, प्रक्रिया और मरम्मत समिति, परियोजना प्रबंधन समिति, निवेश समिति, उपलब्धि समिति और संपत्ति विकास समिति आदि। बोर्ड की अनुमति के ज़रिये प्रत्येक समिति स्पष्ट रूप से संदर्भ की सीमा को व्यक्त करता है। ये समितियाँ समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठकों का आयोजन किया जाता है।

1. लेखा परीक्षा समिति

बनावट :

1. डॉ. के एम एब्रहाम	-	अध्यक्ष
2. श्री.मुकुंद कुमार सिन्हा	-	सदस्य
3. डॉ. एम.जी.राजमाणिकम	-	सदस्य
4. श्री. एल. नरसिंह प्रसाद	-	सदस्य

वर्ष 2014-2015 के दौरान लेखा समिति की बैठक चार बार हुई जैसे 22 अप्रैल 2014, 30 जुलाई 2014, 13 नवंबर 2014 और 17 मार्च 2015 साथ ही लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक चालू वर्ष में 15 जुलाई 2015 को आयोजित की गई। लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के अतिरिक्त इन बैठकों में निदेशक, वित्त और उन प्रतिनिधियाँ जो समिति के बैठकों केलिए आवश्यक शक्ति प्रदान करनेवाले हैं वे भी उपस्थित रहते हैं। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भों को कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर बोर्ड द्वारा अनुमति दी जाती है। कंपनी के सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्यरत है।

सदस्यों के उपस्थिति संबंधी अभिलेख :-

क्रम सं.	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के दौरान 2014-2015 में आयोजित बैठक	उपस्थिति बैठकें
1.	श्री.सोमसुंदरन	2	2
2.	डॉ.के.एम.एब्रहाम	2	2
3.	श्री.मुकुंद कुमार सिन्हा	4	2
4.	डॉ.एम.जी राजमाणिकम	3	नहीं
5.	श्री. एल नरसिंह प्रसाद	3	1
6.	श्री. वेदमणी तिवारी	4	3

2. संयुक्त सामाजिक दायित्व (सी एस आर) समिति

बनावट

1.	श्री.एलियास जार्ज	-	अध्यक्ष
2.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	-	सदस्य
3.	श्री. एल नरसिंह प्रसाद	-	सदस्य
4.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	सदस्य
5.	श्री. महेष कुमार	-	सदस्य

इस वर्ष के दौरान सी एफ आर समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

3. परियोजना प्रबंधक समिति

बनावट :

1.	श्री.एलियास जार्ज	-	अध्यक्ष
2.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	-	सदस्य
3.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	-	सदस्य
4.	श्री. महेष कुमार	-	सदस्य
5.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	सदस्य

समिति को बैठक 10 जुलाई 2014 को एक बार हुई।

सदस्यों के उपस्थिति अभिलेख ।

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता काल में 2014-15 में आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकें
1.	श्री.एलियास जार्ज	1	1
2.	श्री. मुकुंद कुमार सिन्हा	1	1
3.	श्री. जितेन्द्र त्यागी	1	1
4.	श्री. महेष कुमार	1	1
5.	श्री. एब्रहाम उम्मन	1	1
6.	श्री. वेदमणी तिवारी	1	1

4. निवेश समिति

बनावट :

1.	श्री. एलियास जार्ज	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. के.एम. एब्रहाम	-	सदस्य
3.	श्री.वी.जे.कुरियन	-	सदस्य
4.	श्री.जितेन्द्र त्यागी	-	सदस्य
5.	श्री. एब्रहाम उम्मन	-	सदस्य

निवेश समिति 22 अप्रैल 2014 को एक बार आयोजित की गई।

सदस्यों की उपस्थिति अभिलेख:

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता काल में 2014-15 में आयोजित बैठक	उपस्थित बैठकें
1.	श्री.एलियास जार्ज	1	1
2.	श्री.वी.सोमसुंदरन	1	1
3.	डॉ.के.एम. एब्रहाम	नहीं	नहीं
4.	श्री.वी.जे. कुरियन	1	नहीं
5.	श्री.जितेन्द्र त्यागी	नहीं	नहीं
6.	श्री.एब्रहाम उम्मन	1	1
7.	श्री.वेदमणी तिवारी	1	1

5. उपलब्धी बैठक

बनावट :

- | | | | |
|----|------------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जार्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री. जितेन्द्र त्यागी | - | सदस्य |
| 3. | श्री. एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 4. | श्री. महेष कुमार | - | सदस्य |

इस वर्ष उपलब्धी बैठक की योजना नहीं की गई।

6. प्रक्रिया और मरम्मत समिति

बनावट :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---------|
| 1. | एलियस जॉर्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. के.एम. एब्रहाम | - | सदस्य |
| 3. | श्री.एल.नरसिंह प्रसाद | - | सदस्य |
| 4. | श्री.एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. | श्री.महेषकुमार | - | सदस्य |

इस वर्ष प्रक्रिया और मरम्मत समिति की बैठक आयोजित नहीं किया गया।

7. संपत्ति विकास समिति

बनावट :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जार्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री. वी.जे.कुरियन | - | सदस्य |
| 3. | डॉ.एम.जी राजमाणिककम | - | सदस्य |
| 4. | श्री. एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 5. | श्री. महेष कुमार | - | सदस्य |

इस वर्ष संपत्ति विकास समिति की बैठक आयोजित नहीं किया गया।

8. मानव संसाधन विकास समिति

बनावट :

- | | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 1. | श्री.एलियास जार्ज | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री. वी.जे.कुरियन | - | सदस्य |
| 3. | श्री. एब्रहाम उम्मन | - | सदस्य |
| 4. | श्री. महेष कुमार | - | सदस्य |

इस वर्ष मानव संसाधन विकास समिति की बैठक आयोजित नहीं किया था।

नोट : समिति की बनावट जो ऊपर दिया गया है, वह रिपोर्टार्धीन तारीख के आधार पर है।

प्रकटीकरण

- (क) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी पार्टी से कोई सौदा अर्थात् उनके समर्थकों, निदेशकों या प्रबंध, नियंत्रित व्यक्तियों या बन्धुजनों आदि के साथ भौतिक प्रक्रिया की कंपनी सौदे नहीं हुए हैं क्योंकि उससे व्यापक तौर पर कंपनी के हित के साथ काफी हद तक मतभेद हो सकता है।
- ख) ऐसा कोई भी जुर्माना देनेलायक घटना या संरचना सार्विधिक अधिकार द्वारा कंपनी के खिलाफ नहीं किया है।
- ग) लेखा की पुस्तकों में ऐसा कोई व्यय खर्च के मद नहीं है जो कंपनी के कार्यव्यापार संबंधी नहीं है।
- घ) कंपनी को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आदि पद पर बैठने केलिए अलग-अलग व्यक्ति हैं।

कंपनी के वेबसाइट

कंपनी का वेबसाइट www.kochimetro.org. परियोजना संविदा, नियुक्ति की प्रक्रिया, आदि सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख सूचनाएं वेबसाइट में दिया है।

पत्राचार केलिए पता :

पंजीकृत कार्यालय
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (CIN U60100KL2011SGC029003)
8 वाँ मंजिल, रेवन्हू टॉवर, पार्क एवन्यू
कोच्ची - 682011

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष

वर्ष 2014 - 15 के वित्तीय विवरण

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

तुलन पत्र 31 मार्च 2015

राशी (लाखों में)

विवरण

न्याय और देयताएँ

(1) शेयरधारियों की निधि

	नोट.नं	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
(क) शेयर पूँजी	3	87,010.00	21,500.00
(ख) आरम्भित और अधिशेष	4	(287.98)	(270.11)
(ग) शेयरवारंट के खिलाफ प्राप्त धन	-	-	-
(2) शेयर आवेदन के पैसे लंबित आबंटन	5	5,645.00	24,930.00
(3) चालूरहित देयताएँ			
(क) दीर्घकालीन ऋण	6	1,14,599.00	23,425.00
(ख) अस्थगित कर देयताएँ (कुल)	7	2.06	-
(ग) अन्यदीर्घकालीन देयताएँ	8	115.88	-
(घ) दीर्घकालीन प्रावधान	9	70.40	31.11
(4) चालू देयताएँ	-	-	-
(क) अल्पकालीन ऋण	-	-	-
(ख) व्यापार देय	-	-	-
(ग) अन्य चालू देयताएँ	10	13,339.52	6,829.01
(घ) अल्प कालीन प्रावधान	11	10.87	0.39
कुल		2,20,504.75	76,445.40

II आस्तियाँ

(1) चालूरहित आस्तियाँ

(क) स्थाइ आस्तियाँ			
(1) मूर्त परिसंपत्तियाँ	12A	40,508.33	12,023.19
(2) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	12B	2,805.09	29.11
(3) चालू पूँजीगत कार्य	13	1,05,953.76	25,064.12
(4) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	93.30	-
(ख) चालू रहित निवेश	-	-	-
(ग) अस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	7	-	130.83
(घ) दीर्घकालीन ऋण व अग्रिम	14	31,849.28	30,886.24
(ग) अन्य चालू रहित परिसंपत्तियाँ	15	19.95	-

(2) चालू परिसंपत्तियाँ

(क) चालू निवेश	-	-	-
(ख) मालसूची	-	-	-
(ग) व्यापार प्राप्त	-	-	-
(घ) नकद व नकद समकक्ष	16	39,134.10	8,133.30
(ड) अल्पकालीन ऋण व अग्रिम	17	140.94	178.61
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	-	-	-
कुल		2,20,504.75	76,445.40

सार्थक लेखा पॉलीसी

2

वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

24

साथ में वित्तीय संबंधी जो टिप्पणियाँ दी हैं उसपर ध्यान दें।

हमारा रिपोर्ट संलग्न

के बर्गीय एम्ड कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

निदेशकमण्डल की ओर से और केलिए

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

सामर्वांगिक

बी. अनिलकुमार

एब्रहाम उम्मन

महेषकुमार

एलियास जॉर्ज

सहभागी

कंपनी सचिव

निदेशक

निदेशक

प्रबंध निदेशक

(वित्त)

(परियोजना)

स्थान: नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 18 अगस्त 2015

दिनांक : 18 अगस्त 2015

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि संबंधी विवरण

विवरण	नोट. नं	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (लाखों में)
I आय				
1. पूर्वतन से राजस्व	18	946.55	637.40	
2. अन्य आय		<u>946.55</u>	<u>637.40</u>	
कुल राजस्व				
II व्यय				
1. कर्मचारी लाभ खर्च	19	303.13	223.94	
2. वित्तीय लागत	20	-	-	
3. मूल्य हास और परिशोधन खर्च	21	98.12	26.55	
4. अन्य व्यय	22	634.11	323.47	
5. पूर्व कालावधि के समझौत (कुल)	23	(180.35)	454.01	
कुल व्यय		<u>855.01</u>	<u>1027.97</u>	
III विशिष्ट और असाधारण मदों पर लाभ / (हानि) और कर		91.54	(390.57)	
IV विशिष्ट मदें		-	-	
V लाभ / हानि असाधारण मदें से पहले		91.54	(390.57)	
VI असाधारण मदें		-	-	
VII लाभ / हानि कर से पहले (V- VI)		91.54	(390.57)	
VIII कर व्यय / (लाभ)		-	-	
(1) चालू कर व्यय		16.94	23.34	
(2) पृथक कर (MAT क्रिडिट)		(16.94)	-	
(3) अल्पकालीन / (दीर्घकालीन) कर संबंधी पूर्वकालावधि का प्रावधान		(23.49)	-	
(4) कुल चालू कर व्यय		-	-	
(5) अस्थगत कर		132.90	(143.79)	
कुल व्यय/ (लाभ)		<u>109.41</u>	<u>(120.45)</u>	
IX लाभ / हानि (VII - VIII)		<u>(17.87)</u>	<u>(270.11)</u>	

X प्रति साम्य शेयर पर अर्जन

(हरेक केलिए 100)

(1) मूल	(0.04)	(1.66)
(2) पतला किया हुआ	(0.03)	(0.66)

साथ में वित्तीय संबंधी जो टिप्पणियाँ दी हैं उसपर ध्यान दें।

हमारा रिपोर्ट संलग्न

के वर्गीय एम्ड कंपनी केलिए
शासनपत्रित लेखाकार

निदेशकमण्डल की ओर से और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
सामवर्गीस	बी. अनिलकुमार	एब्रहाम उम्मन	महेषकुमार
सहभागी	कंपनी सचिव	निदेशक	निदेशक

(वित्त)

(हस्ताक्षर)
एलियास जॉर्ज
प्रबंध निदशक

स्थान: नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 18 अगस्त 2015

दिनांक : 18 अगस्त 2015

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
CIN U 60100KL2011 SGC 029003

रेवन्यू टॉवर, पार्क एवन्यू , कोच्ची - 682011, केरल, भारत

1. संयुक्त संस्था की सूचना

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन में कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (के एम आर एल) एक स्वतंत्र संस्था है और कंपनी अधिनियम 2013 धारा 2 (45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का गठन भारत सरकार (जी ओ आइ) और केरल सरकार (जी ओ के) के समान अधिकारों, शेयरों के साथ कोच्ची शहर में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से बनाये संयुक्त उद्यम है। के एम आर एल मेट्रो नेटवर्क के विकास की गुणवत्ता, उसकी प्रक्रिया, मरम्मत आदि के साथ प्रामाणिक प्रक्रियाओं को सोंपता है।

महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसी

2. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

(क) लेखा और वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

एक कंपनी के वित्तीय विवरण भारत के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के मिलन से होता है जो कंपनी अधिनियम 2013 की उपधारा 133 और कंपनी नियम (लेखा) 2014 के 7 वाँ नियमों के अनुसार चलता है। यह वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के ऐतिहासिक मूल्यों को एकत्रित करके उसके आधार पर करता है। वित्तीय विवरण की तैयारी केलिए स्वीकृत लेखा पॉलिस एक ही है जिसका पालन पिछले वर्षों में भी किया गया था लेखा पॉलिसी में परिवर्तन सिर्फ अवमूल्यन केलिए है।

(ख) मूल्य निरूपण का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी में भारतीय जी ए ए पी के साथ समानता लाने केलिए अनुशासन को कुछ मूल्यनिरूपण एवं मान्यताओं को तैयार करना चाहिए जिसमें प्रतिवेदित संपत्तियों और देवताओं, इस वर्ष के दौरान हुई आय और व्यय का मूल्य निहित हो। कुछ मूल्य निरूपण को अन्यों से ज्यादा उच्च स्तर के निर्णय की ज़रूरत है। प्राप्त सूचना के अनुसार शासनकर्ता लगातार मूल्य निरूपण एवं निर्णयों का मूल्यांकन करता है और उनके अनुभव एवं विश्वास के आधार पर यह मूल्यांकन भी करता है कि वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रयुक्त मूल्य निरूपण विवेकपूर्ण एवं उचित है। शायद भविष्य के परिणाम इससे भिन्न होगा और सही परिणाम और मूल्य निरूपण के बीच का अन्दर परिणाम की घोषणा करते वक्त पहचानते हैं।

(ग) रेवन्यू की मान्यता

- i) जमा पर व्याज खाते में बकाया राशी और लागू कर लेते वक्त अनुमति के आधार पर मान्यता प्राप्त है।
- ii) अन्य आय को रसीद के आधार पर पहचानते हैं।
- iii) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए राजस्व और व्यय की वस्तुएँ जो सीधे पूँजी परिसंपत्ति के निर्माण से संबंधित न हो तो लाभ और हानि के ब्यान राजस्व व्यय के रूप में डालता है।

(घ) स्थिर परिसंपत्ति (प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष)

अंचल संपत्ति को ऐतिहासिक लागत, कम संचित मूल्य हास और हानि इनमें से कुछ भी कहा जाता है। वसूली करों के किसी भी आयात शुल्क अन्य करों के जाल सहित अपनी खरीदी मूल्य और इसके उपयोग केलिए परिसंपत्ति तैयार करने पर किसी भी तरह के सामान्य व्यय, अन्य आकस्मिक व्यय और योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण आदि के कारण उधारी व्याज आदि जब इस संपत्ति उपयोग केलिए तैयार करने की तिथि तक और किसी भी व्यापार की छूट आदि अंचल संपत्ति में शामिल है।

तुलनपत्र की तारीख में निर्माणाधीन संपत्ति को प्रगति में मुख्य काम (सी डब्ल्यू आई पी) के रूप में दिखाया जाता है। निर्माण गतिविधि घटकों को लगाये गये सभी प्रत्यक्ष व्यय का हिसाब प्रगति में मुख्य काम के अंतर्गत रखता है। सामान्य व्यय जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हो, मगर काम के एक से ज्यादा भाग में निर्माण के समय लिया गया खर्च हो तो उसको सी डब्ल्यू आई पी के अंतर्गत खर्जीकृत किया जाता है, वह काम पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों पर बँटवारा करते हैं। डी एम आर सी केलिए प्रदान की गई परियोजना धन पर प्राप्त व्याज सी डब्ल्यू आई पी से कम करते हैं। निर्माण में प्रगति व्यय विवरण के आधार पर किया गया है और डी एम आर सी द्वारा प्रदान किये गए प्रबंधन प्रमाण पत्र के एम आर एल परियोजना निदेशालय द्वारा सत्यापित किया है।

(ड) भूमि

भूस्वामी द्वारा सौंपा गया भूमि समूह और जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त भूमि के मूल्य को भूमि के कब्जा लेते समय कंपनी के नाम पर पंजीकरण केलिए इंतजार किये बिना पूंजीकृत करते हैं। निर्माण केलिए सौंपे गए सरकार के विभिन्न निकायों और विभागों के अंतर्गत आनेवाले भूमि का मूल्य, देय राशी और अन्य शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं देने के कारण पूंजीकृत नहीं किया है। सीधे खरीदी गई जमीन कंपनी के पक्ष में भूमि का पंजीकरण पर पूंजीकृत है। यदि बढ़ाया मुआवजा कुछ है तो भुगतान की वजह से निर्धारित किया जाता है। संरचनाओं के अधिग्रहणों की लागत भूमि की लागत में लगा हुआ है। ध्वस्त ऐसी संरचनाओं के अधिग्रहणों की लागत भूमि की लागत में लगाया है।

(ट) संपत्ति की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र में तारीख में संपत्ति के मूल्यों की क्षति का पुर्णनिरीक्षण करते हैं। यदि ऐसी कोई क्षति का संकेत मौजूद है तो ऐसी संपत्ति की वसूली योग्य राशी का अनुमान करते हैं और क्षति को मान्यता प्राप्त होता है। मान्यता प्राप्त क्षति को लाभ और हानि के बयान में लगाया जाता है, इस साल में ऐसे बिंदु रूप में परिसंपत्ति की पहचान की है।

(छ) मूल्यहास और परिशोधन

- जिन्दगी के उपयोगी संपत्तियों के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 अनुभाग दो के अनुसार जो स्थिर संपत्ति है उस पर मूल्य हास लगाया जाता है।
- कंपनी अधिनियम 2013 योजना II के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से कंपनी उसके स्थिर संपत्तियों को पुनर्संयोजित करके बाकी उपयोगी संपत्तियों पर मूल्हास को दिखाया है।
- सभी स्थाई पारीसंपत्तियों पर 5% अवशिष्ट मूल्य स्थापित किया जाता है जो योजना के प्रावधानों की सूची में है।
- रु. 5000 से कम व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर खरीदारी के वक्त ही रेवन्यू लगा देता है।
- अमूर्त परिसंपत्तियों को उसकी उपयोगी रूप में लागू करने केलिए किश्तों में ऋण चुकाने की व्यवस्था का मूल तैयार करते हैं।
- रेलवे को जो मूल्य रहे हैं उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और उसे सीधे 70 वर्षों की अवधी में कई किश्तों में चुकाने का सीधा पद्धति देता है।

(ज) प्रावधानों, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ

सभी भूतपूर्व घटनाओं के कारण कंपनी को वर्तमान में कुछदायित्व है तो इन कर्तव्यों को निभाने हेतु विश्वसनीय अनुमान को तैयार करके इस सशक्त बहिर्वाह को व्यवस्थित करने का प्रावधान है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में ऐसा विवरण देता है और मौजूद सब से अच्छा अनुमान प्रतिबिंबित करने केलिए समायोजित कर रहे हैं। जब कंपनी के नियंत्रण से परे संभव दायित्व जो अतीत की घटनाओं से पैदा होती है, जिसका अस्तित्व घटना या एक या एक से अधिक अनिश्चित घटनाओं के गैर घटना से पृष्ठी की जाएगी तब एक आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त है। यह संभवतः नहीं है कि संसाधनों की एक बहिर्वाह दायित्व व्यवस्थित करने केलिए आवश्यक है इसलिए वर्तमान दायित्व को मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(झ) आय पर कर

आय पर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित रूप में चालू कर, वर्ष केलिए कर योग्य पर देय है। डिफेड कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय

के अंतर पर मान्यता प्राप्त है कि एक अवधि में आरंभ और एक या एक से अधिक बाद के समय उत्क्रमण केलिए सक्षम है।

अनवशेषित मूल्यहास के संबंध में कर संपत्ति और घाटे में पहचाने जाते हैं कि आगे ले जाना है, अगर वहाँ आभासी निश्चितता नहीं होगा कि इस तरह के नुकसान का एहसास करने केलिए उपलब्ध पर्याप्त भविष्य योग्य कर, अन्य डिफेड कर संपत्ति, ऐसी संपत्ति का एहसास करने केलिए पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय होगी। डिफेड कर संपत्ति की कार्यवीत होने केलिए प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आलोचना की जाती है।

(ज) विदेशी मुद्रा लेन देन / अनुवाद

विदेशी मुद्रा में लेन-देन कंपनी के लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मुद्रित चीज़ों सूचित तारीख के विनिमय दरों में बदल देता है।

अचल संपत्तियों के अधि ग्रहण से संबंधित आर्थिक चीज़ के संबंध में उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा का अंतर पहले पूँजीकरण से संबंधित अचल संपत्तियों / मूलधन, पूँजी प्रगति की वहन लागत को समायोजित कर रहे हैं। अन्य विनिमय जिसमें मतभेद है उसे अवधि में आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

कर्मचारी सुविधा

(1) भविष्य निधि : कंपनी के योग्य कर्मचारियों को, कर्मचारी और कंपनी दोनों, वेतन का एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान करने पर भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त होगे। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में भुगतान किया जाता है।

कंपनी के पेंशन पद्धति भविष्य निधि के साथ जोड़ा है। कंपनी के सभी योग्य कर्मचारियाँ भविष्य निधि पद्धति के अधीन कर्मचारी पेंशन पद्धति में आ जाते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत कर्मचारी से कोई देन इकट्ठा नहीं करते बल्कि नौकरीदाता ही भुगतान करते हैं।

(2) उपदान : एक्युरियल निरीक्षण के अनुसार योग्य कर्मचारियों को चालू वर्ष में उपादान प्रदान की जाती है।

(3) अर्जित अवकाश और आधावेतन छुटियाँ : कंपनी कर्मचारियों को आर्जित और आधा वेतन अवकाश भी प्रदान करती है। इस खाते का दायित्व एक्युरियल निरीक्षण के आधार पर पहचानते हैं।

(4) एल टी सी : कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों को अपने शहर तथा भारत के किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा करने की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ट) उधार लागत

उधार लागत में ब्याज, लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाता है। इसमें एक हद तक विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाली अनुषंगी (सहायक) लागत खर्च और विनिमय मतभेद आदि शामिल है। अर्हक परिसंक्षियों के अधिग्रहण से सीधे लागत ऋण का कार्यकाल खत्म होने पर लाभ और हानि के बयान में लगाया जाता है। उधार लेने की लागत अर्हक संपत्ति केलिए आवंटित और उपयोग किया, अर्हक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ से पूँजीकरण की तिथि तक की संपत्ति / ऐसी संपत्ति को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ रहे हैं।

ठ) खण्ड प्रतिवेदन

कंपनी केलिए सिर्फ एक व्यापार खंड है। वह है कोच्ची मेट्रो रेल प्रणाली का विकास और रखरखाव / तदनुसार, वित्तीय बयान में प्रदर्शित राशियाँ कंपनी के एकल व्यापार खंड से जुड़े हुए हैं।

ठ) नकद और समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन केलिए नकद और नकद समकक्ष बैंक में, सरकारी कोषगृह और बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा के रूप में शामिल हैं।

ण) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह ए एस उ का उपयोग कर परोक्ष विधि के अनुसार रिपोर्ट करते हैं जिससे लाभ या हानि, नकद स्वभाव का लेन-देन, अतीत या भविष्य नकद प्राप्ति या भुगतान आदि के किसी भी डिफोर्ड या अपचय के प्रभाव केलिए निकाला जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह आदि अलग

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

प) वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

यदि साधारण व्यापार कोर्स में पहचानना है तो वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम को तुलन पत्र में स्थित मूल्यों के आधार पर देखना होगा।

फ) प्रतिशेयर आय

इस अवधि के दौरान बकाया इकिवटि शेयरों की भरित औसत संख्या से इकिवटि शेयरधारकों के कारण उत्पन्न शुद्ध लाभ या हानि विभाजित करके गणना के मूल आय प्रति शेयर के रूप में रखते हैं। प्रति शेयर आम पतला गणना के प्रयोजन केलिए इकिवटि शेयरधारकों और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भरित औसत संख्या के कारण शुद्ध लाभ और हानि सभी पतले संभावित इकिवटि शेयरों के प्रभाव केलिए समायोजित किया जाना चाहिए।

31 मार्च 2015 वित्तीय विवरण के टिप्पणी का हिस्सा

टिप्पणी सं - 3 शेयर पूँजी

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015	राशी लाखों में	31 मार्च 2014
अ)	अधिकृत 100 रुपये की प्रत्येक 200,000,000 सामान्य शेयरें	2,00,000.00		2,00,000.00
	पिछले वर्ष में 100 रुपये प्रत्येक 200,000,000 सामान्य शेयरों में			
आ)	जारी, अभिदृत और पूरी तरह से प्रदत्त 100 रुपये की प्रत्येक			
	87,010.00 सामान्य शेयरें	87,010.00		21,500.00
	(पिछले वर्ष में 100 रुपये प्रत्येक 21,500.00 सामान्य शेयरें)			
इ)	रिपोर्टाधीन अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की सुलह			

		शेयरों की संख्या	राशी रुपये	शेयरों की संख्या	राशी रुपये
	साल की शुरुआत में	2,15,00,000	21,500.00	5,00,000	500.00
	वर्ष के दौरान आबंटित	6,55,10,000	65,510.00	2,10,00,000	21,000.00
	वर्ष के अंत में बकाया	8,70,10,000	87,010.00	2,15,00,000	21,500.00
ई)	कंपनी में 5 प्रतिशत से ज्यादा शेयरें धारण किये गये हर शेयरधारक				

		शेयरों की संख्या	धारण	शेयरों की संख्या	धारण	31 मार्च 2014
	शेयरों का नाम		संख्या		प्रतिशत	
	भारत सरकार	4,35,05,000	50	1,07,50,000	50	
ई)	केरल सरकार	4,35,05,000	50	1,07,50,000	50	

कंपनी 100 रुपये प्रति शेयर के सममूल्याले इकिवटि शेयरों का एक वर्ग है। प्रत्येक शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और कंपनी के बैठक में प्रति शेयर वोट केलिए भी हकदार हैं। परिसमाप्ति की स्थिति में, इकिवटि शेयर धारक भी कोई हो, सभी नरजी हो राशी के विवरण के बाद उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की संपत्ति प्राप्त करने योग्य है।

टिप्पणी - 4 - आरक्षित निधि और अधिशेष

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
अ)	शेयर आवेदन के पैसे की लंबित आवंटन प्रारंभिक जमा	(270.11)	-
	वर्ष केलिए अतिरिक्त लाभ / हानि	(17.87)	(270.11)
	रोकड बाकी	<u><u>(287.98)</u></u>	<u><u>(270.11)</u></u>

टिप्पणी - 5 - शेयर आवेदन के रूपये प्राप्त लंबित आबंटित

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 में	31 मार्च 2014 में
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त		
	लंबित आबंटित		
अ)	भारत सरकार	-	1,530.00
आ)	केरल सरकार	5,645.00	23,400.00
		<u>5,645.00</u>	<u>24,930.00</u>

5.1 कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटड, भारत सरकार (बी ओ आई) और केरल सरकार (जी ओ) के द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी है। जिसमें 50 इक्विटी शेयर दोनों सरकार के पकड़ में है। इक्विटी योगदान चरणों में और सरकारों का बराबर जिम्मेदारी बनाए रखने केलिए जारी किया जा रहा है, शेयर आवेदन के पैसे अन्य सरकारों के मिलन एवं योगदान प्राप्त होने तक अतिरिक्त विज्ञाप्ति आयोजित की जाती है। इस तरह मेल खाते योगदान प्राप्त होने के तुरंत बाद बोर्ड बैठक के बाद शेयर आबंटन किया जायेगा।

5.2 सममूल्य रूपये 100 पर प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के मौजूदा शेयरों के समान सभी योग्य शेयर धारकों केलिए जारी किया जाएगा, दोनों सरकारों की इक्विटी धारिता का अनुपात बराबर है कि इस तरह के तरीके से जारी किए गए हैं।

5.3 कंपनी को शेयर आवेदन के पैसे के खिलाफ शेयरों के आबंटन से उत्पन्न शेयर पूँजी राशी को पार करने केलिए पर्याप्त अधिकृत शेयर पूँजी है।

टिप्पणी नं - 6 दीर्घ कालिक उधार

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 में	31 मार्च 2014 में	राशी लाखों में
	दीर्घकालिक उधार (सुरक्षित)			
अ)	सहायक द्वारा अनुमोदित भारत सरकार	16,179.00	-	-
आ)	केनरा बैंक	22,000.00	-	-
इ)	जिला सहकारिता बैंक एरणाकुलम	36,600.00	-	-
	ब्याज मुक्त अधीनस्थ उधार (असुरक्षित)			
अ)	भारत सरकार	9,195.00	2,500.00	
आ)	केरल सरकार	30,625.00	20,925.00	
		<u>1,14,599.00</u>	<u>23,425.00</u>	

6.1 भारत सरकार को फ्रान्केस डी विकास (ए एफ डी) के एजन्ट जो फैंच वित्तीय सहायता एजन्सी है उसके साथ की गई क्रेडिट समझौते के आधार पर सहायक द्वारा उधार प्राप्त करने का प्रावधान है। उधार को भारत सरकार के बजट संबंधी सुविधा के अनुसार कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसका सूद छः महीनों में अतिरिक्त इयु आर आई बी ओ आर के साथ देना है और ज्यादा से ज्यादा 155 तक दे सकते हैं। हर साल तारीख सूद 15 मार्च और सितंबर 15 को होगी। मूलधन को वापस 6 महीने के अंतराल में 40 समतुल्य किश्तों में पाँच सालों के अंतर भरना है। प्रथम किश्त जमा करने की तारीख 15 मार्च 2039 है। इस वर्ष के दौरान सहायक के द्वारा फ्रान्केस डी विकास एजन्सी से कंपनी ने रु.161.79 करोड़ रुपए उधार लिया है। इसकेलिए कंपनी को इस वर्ष रु.7865125/- सूद के रूप में जमा करना है।

6.2 वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने केनरा बैंक के साथ रु. 1170 करोड रुपये केलिए एक दीर्घकालिक उधार समझौते में प्रवेश किया है। मूलधन वापस जमा करने का ऋण विलंब काल की तिथी जून 2020 को शुरू होती है। उधार की भुगतान 2020-21 वर्ष से प्रारंभ होगी और वे तीन महीनों के अंतराल के आधार पर 50 समान किश्तों में भरना सूद के मूल्य चालू मूल भाव से 0.60 ज्यादा है इस वर्ष के दौरान कंपनी दो किश्तों में रु.220 करोड रुपये ले लिया और इसकेलिए रु. 13694489/- सूद भी दे दिया।

6.3 अनुमोदन सं. के - 14011/ 37/2005 - एम आर टी एस IV दिनांक 12 जुलाई 2012 को कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना केलिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भूमि अधिग्रहण केलिए जो रु.672 करोड दिये थे उसे केरल सरकार के उपऋण द्वारा सूद मुक्त कर दिया है। इसके अलावा केरल सरकार ने 31 मार्च 2015 तक रु. 306.25 देंगे और बाकी राशी केलिए सरकार के बकाया ऋण प्राप्ति की प्रावधान के अनुसार उधार को स्वीकार कर लें।

जी ओ (एम.एस) नं. 20/2015 ट्रान्स दिनांक 25.03.2015 के अनुसार केरल सरकार ने रु.366 करोड के टेम लॉन की अनुमति एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक (ई डी सी) से भूमि अधिग्रहण केलिए ले लिया। उसके अनुसार कंपनी अपने 19 वाँ मण्डल के बैठक में एरणाकुलम जिला सहकारिता बैंक के साथ उधार समझौते में प्रवेश किया। उधार का कुल वर्ष 12 साल रहेगा, 2 साल विलम्ब काल रहेगा, दस वर्ष के अंदर उधार वापस भरना शुरू कर लेना है। इसका सूद भारतीय स्टेट बैंक के मूल मूल्य 0.05 कम है। हर तीन साल में सूद का मूल्य परिवर्तित किया जायेगा। सूद सहित उधार वापस जमा करने की जिम्मेदारी केरल सरकार की है। वर्ष के दौरान कंपनी ने केरल सरकार के आदेशानुसार रु.366 करोड निकाला है।

6.4 अनुमोदन सं.के - 14011/37/2005 एम आर टी एस - दिनांक 12 जुलाई 2012 में कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना केलिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार कुल परियोजना लागत में शामिल केंद्रित करों का हिस्सा भारत सरकार और केरल सरकार ने समान रूप से लिया है ब्याज मुक्त राशी उस तालमेल ऋण के रूप में जारी किया जाएगा और भारत सरकार और केरल सरकार दोनों का शेयर 248.50 करोड हो जाएगी। उसी आदेश के अनुसार इस परियोजना केलिए भूमि अधिग्रहण की लागत, अनुमान 672 करोड रुपये भी ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में केरल सरकार प्रदान किया जाएगा।

6.5 वर्ष के दौरान कंपनी को 66.95 करोड रुपए भारत सरकार की ओर से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है। कंपनी को भूमि अधिग्रहण लागत को पूरा करने केलिए केरल सरकार से रु.97 करोड भी प्राप्त हुए है। उपर्युक्त राशियाँ साल के अंत में बकाया हैं।

6.6 अधीनस्थ ऋण वरिष्ठ अवधि की अदायगी के बाद प्रतिदेय है। चुकती अनुसूची इन ऋणों की अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार और केरल सरकार ज़ारी किए जानेवाले हैं।

टिप्पणी नं - 7 अस्थगित कर संपत्तियाँ (कुल)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी लाखों में
	अस्थगित कर देयताएँ			
क)	अस्थगित कर देयताएँ स्थिर संपत्तियों के बुक अथशेष और कर अथशेष का अंतर	(141.97)	(19.57)	
ख)	अस्थगित कर संपत्तियाँ और प्रावधान	139.91	150.40	
		<u><u>(2.06)</u></u>	<u><u>130.83</u></u>	

टिप्पणी नं 8 - अन्य दीर्घकालीन देयताएँ

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014	राशी लाखों में
क)	प्रतिरक्षण	95.93	-	
ख)	ई डी सी उधार पर सूद	19.95	-	
		<u><u>115.88</u></u>	<u><u>-</u></u>	

टिप्पणी नं 9 - दीर्घकालीन प्रावधान

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	राशी लाखों में 31 मार्च 2014 तक
	कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान		
क)	उपदान केलिए प्रावधान	17.06	6.59
ख)	अर्जित अवकाश केलिए प्रावधान	33.71	14.78
ग)	आधा वेतन केलिए प्रावधान	19.63	9.74
		70.40	31.11

टिप्पणी नं 10 - अन्य चालू देयताएँ

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	राशी लाखों में 31 मार्च 2014 तक
असुरक्षित			
क)	सूद स्वीकृत लोकिन उधार देय नहीं	81.64	-
ख)	अन्य भुगतान		
1)	वैधानिक भुगतान	17.26	9.89
2)	व्यापार/ प्रतिभूति जमा प्राप्त	136.27	33.37
3)	अचल संपत्तियों की खरीदारी	-	1.72
4)	भूमि आधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	6,773.27	4,619.43
5)	अन्य		
i)	परियोजना संबंधी देयताएँ	4,294.61	481.71
ii)	केरल सडक फंड बोर्ड	1,471.79	1,493.02
iii)	केरल सरकार	376.06	98.82
iv)	अन्य	188.62	91.05
		13,339.52	6,829.01

टिप्पणी नं 11. लघु अवधि के प्रावधान

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015	राशी लाखों में 31 मार्च 2014
	कर्मचारी लाभ केलिए प्रावधान		
क)	उपदान केलिए प्रावधान	0.14	0.08
ख)	अर्जित अवकाश केलिए प्रावधान	6.98	0.19
ग)	आधा वेतन केलिए प्रावधान	3.75	0.12
		10.87	0.39

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

अचल संपत्तियाँ

टिप्पणी नं 12 ए . मूर्त अचल संपत्तियाँ

राशी (रु.लाखों में)

विवरण	01-04-2014 में शेष राशी	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजना	वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	31.03.2015 में शेष राशी	01.04.2014 में शेष राशी	वर्ष के दौरान मूल्यहास समायोजन	परिवर्धन अन्व समायोजन	बेच संपत्ति पर समायोजन	31.03.2015 में संचित मूल्यहास	31.03.2015 में शेष राशी	31.03.2014 में शेष राशी
भूमि	11,789.31	28,400.78	-	40,190.09	-	-	-	-	40,190.09	11,789.31	-
कंप्यूटर्स	61.52	16.00	5.15	72.37	16.92	28.07	-	1.75	43.24	29.14	44.60
विद्युत उपकरण	8.71	24.95	0.15	33.51	0.68	3.26	-	-	3.94	29.57	8.03
विद्युत समग्री	7.52	-	-	7.52	0.81	0.82	-	-	1.63	5.89	6.71
विद्युत अधिकारम	63.99	36.68	-	100.67	6.06	10.32	-	-	16.38	84.28	57.93
अपनि उपकरण	0.51	-	-	0.51	0.51	-	-	-	0.51	-	-
फार्माचर जुड़वार	85.14	65.26	-	150.40	12.18	14.80	-	-	26.98	123.42	72.96
कार्यालय उपकरण	23.09	16.97	0.67	39.39	2.24	9.48	1.75	0.22	1.3.25	26.14	20.85
वाहन	24.68	-	-	24.68	1.88	3.00	-	-	4.88	19.80	22.80
कुल	12,064.47	28,560.64	5.97	40,619.14	41.28	69.76	1.75	1.97	110.81	40,508.33	12,023.19
पिछले साल	244.22	11,858.34	38.09	12,064.47	39.44	20.21	0.51	18.87	41.28	12,023.19	-

टिप्पणी नं 12 बी अपनी अंचल संपत्तियाँ

सोफ्टवेयर	40.22	28.12	-	68.34	11.11	12.91	-	-	24.02	44.32	29.11
रेलवे कोलीए वे लीव भुगतान	-	2,776.22	-	2,776.22	-	15.45	-	-	15.45	2,760.77	-
कुल	40.22	2,804.34	-	2,844.56	11.11	28.36	-	-	39.47	2,805.09	29.11
पिछले साल	20.04	20.22	0.04	40.22	4.81	6.34	-	0.04	11.11	29.11	-

टिप्पणी

- कंपनी ने 31 मार्च 2015 तक 27.47 हेक्टेस की भूमि कलों में ले लिया है। (गत वर्ष 19.07 हेक्टेस थे) 1.
- पूँजीकृत भूमि का मूल्य जिला तल खरीदरी समिति और भूमि के मालिकों के बीच अनुमोदित छोरीद मूल्य है। पूँजीकृत भूमि की लागत और स्टाप शुल्क विचाराधीन नहीं है। क्योंकि केवल सरकार इन प्रभार को छूट दी गई है। दिनांक 25 सितंबर 2015 के सरकार आदेश थे, जो भूमि का परिवर्तन करने के नाम पर प्रक्रिया के अधिन है।
- पूँजीकृत भूमि का मूल्य जिला तल खरीदरी समिति और भूमि के मालिकों के बीच अनुमोदित छोरीद मूल्य है। पूँजीकृत भूमि की लागत और स्टाप शुल्क विचाराधीन नहीं है। पूँजीकृत भूमि के इस खाते का स्थानिकीय पर नहीं शामिल किया है।
- विभिन्न सरकारी निकायों या विभागों से संरक्षित 109 हेक्टेस की भूमि की एक हड्ड तक मौजूद कराये चाल रखा है। लॉबिट कमत को अंतस्थ रूप देने, हस्तातरण की औपचारिकताओं, अन्य नियम और शर्तें, भूमि के इन खातों का स्थानिकीय परिसंरक्षितियाँ पर नहीं शामिल किया है।
- वर्ष के दौरान रेलवे की जमीन के ऊपर से कोरिक्ट मेट्रो रेल यात्रियों को 'वे लॉक' वाले नाम से नियमानुसार दर्शक राशि की अपरिवर्तनीय रूप से लॉक कराया गया। भूमि की चालू वाजानी कीमत के प्रतिशत 99 के साथ एक एक वार्षिक राशि के भुगतान की अपेक्षा 3.5 साल के एक प्रतिवर्ष नामांत्र शुल्क के भुगतान पर आगे 35 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीत किया जा सकता है। ये रकम अपूर्ण परिसंरक्षितियाँ के अंतर्गत दर्शक राशि की अपेक्षा अधिक है।
- कार्यालय उपकरण के अंतर्गत कार्यालय किया भोवाइल कान के संबंध में इसका उपयोग तीन साल के होने का अनुमान है।
- कार्यालय उपकरण के अंतर्गत कार्यालय किया भोवाइल कान के संबंध में इसका उपयोग तीन साल के होने का अनुमान है।

टिप्पणी नं 13 - पूँजी काम प्रगति पर

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु.लाखों में)
क)	कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना फेस -1	1,05,296.51	24,756.90	
ख)	कार्यालय मरम्मत डब्ल्यू आई पी	-	98.79	
ग)	फेस - 2 की वृद्धि	657.25	208.43	
		1,05,953.76	25,064.12	

टिप्पणी नं.14 - दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु.लाखों में)
	पूँजी अग्रिम (असुरक्षित और सही माना गया)			
क)	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को दी गई परियोजना अग्रिम	17,536.44	21,561.60	
ख)	जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण	13,783.74	8,948.13	
	सुरक्षा जमा (असुरक्षित और सही माना गया)			
क)	दूरभाषा - जमा	0.41	0.41	
ख)	सुरक्षा - जमा	31.99	32.87	
ग)	सुरक्षा - जमा - कर्मस्थल का निर्माण	310.98	310.13	
घ)	नोमिनल मूल्य - सतें रेलवे	70.18	-	
ड)	सिग्नेज बोर्ड	45.73	-	
	अन्य (असुरक्षित और सही माना गया)			
क)	कराधन (कुल प्रावधान)	69.81	33.10	
		31,849.28	30,886.24	

टिप्पणी नं.15 - अन्य अचातू संपत्तियाँ

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु.लाखों में)
क)	केरल सरकार से मिलने योग्य (इ डी सी उधार पर सूद)	19.95	-	
		19.95	0.00	

जी ओ के आधार पर नं 20/2015/ट्रान्स दिनांक 25.03.2015 के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त इ डी सी उधार पर पुनः प्राप्त करने योग्य सूद

टिप्पणी नं.16 - नकद और समानवाला

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु. लाखों में)
क)	बैंकों में अथशेष (चालू खाते में)	628.14	56.70	
ख)	उप कोषगृह के खाते म	37,500.69	5,700.70	
ग)	नियत जमा (12 महीने से ज्यादा प्रौढ़ता)	1,004.78	2,375.40	
घ)	बैंकों में अलग से सुरक्षित	0.50	0.50	
		39,134.10	8,133.30	

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

टिप्पणी नं. 17 - अल्पकालीन नियत ऋण और अग्रिम

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	राशी (रु. लाखों में)
	अन्य (असुरक्षित और सही माना गया)	31 मार्च 2014 तक	
क)	संचालन अग्रिम	-	39.42
ख)	पूर्वदत्त व्यय	104.01	119.41
ग)	सूद का लाभ	2.08	16.39
घ)	यात्रा अग्रिम	1.55	0.81
ड)	अन्य कर्मचारी आग्रिम	2.84	1.85
च)	अन्य	30.47	0.73
		140.94	178.61

टिप्पणी नं. 18 - अन्य आय

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	राशी (रु. लाखों में)
	31 मार्च 2014 तक		
क)	बैंक जमा का सूद	519.74	625.86
ख)	अन्य स्थाई आय	426.81	11.54
		946.55	637.40

टिप्पणी नं. 19 - कर्मचारियों के लाभ व्यय

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	राशी (रु. लाखों में)
	31 मार्च 2014 तक		
क)	वेतन और तनख्वाह	219.03	184.54
ख)	भविष्य निधि और अन्य राशी केलिए अंशदान	18.77	17.01
ग)	उपदान व्यय	4.21	3.76
घ)	कर्मचारी कल्याण व्यय	61.12	18.63
		303.13	223.94

टिप्पणी नं. 20 - वित्तीय मूल्य

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक
	व्यय	जमा	
	2014-15	2013-14	
	कुल सूद	नर्माण के पी	एण्ड एल/ कुल
(क)	(क)	के दौरान	जमा कुल
		स्थानांतरण	दौरान
		(ख)	कुल
		(क-ख)	(क)
क)	सहायक द्वारा जारी किये गए सूद भारत सरकार	88.69	-
ख)	केनरा बैंक के उधार पर सूद	129.61	-
		218.30	0.000
			0.000
			0.000

टिप्पणी नं. 21 - मूल्य हास और परिशोधन खर्च

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु. लाखों में)
क)	स्थिर संपत्तियाँ	69.76	20.21	
ख)	अस्थिर संपत्तियाँ	28.36	6.34	
		98.12	26.55	

टिप्पणी नं. 22 - अन्य व्यय

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु. लाखों में)
क)	विज्ञापन	25.84	44.91	
ख)	बिजली और इंधन	23.18	17.43	
ग)	किराया, दरें और कर	31.63	33.08	
घ)	मरम्मत	5.43	4.39	
ड)	बीमा	0.03	0.06	
च)	यात्रा सुविधा	82.29	94.73	
छ)	प्रिंटिंग और सापग्री	12.52	10.44	
ज)	घटना और पदोन्नती	10.30	25.79	
झ)	कानून और व्यावसायिक	56.09	31.36	
ञ)	लेखा परीक्षकों केलिए भुगतान	4.06	1.12	
ट)	स्थाई आस्तियों के ब्रिक्रि पर हानि	0.26	3.96	
ढ)	कार्यालय व्यय	72.71	42.12	
ड)	सिग्नेज बोर्ड	5.99	-	
ठ)	सड़क काम	219.76	-	
ण)	बैंक दरें	9.03	0.19	
त)	देन	7.50	-	
थ)	सामूहिक मीडिया और प्रबंधन	24.55	-	
द)	अन्य मिश्र व्यय	42.94	13.88	
		634.11	323.47	

19.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान

(i) लेखा परीक्षा की दरें (सर्विस कर के साथ)	3.56	1.12
(ii) जेब खर्च के अतिरिक्त	0.50	-

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

टिप्पणी नं. 23 - पूर्व कालावधि समझौता

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	राशी (रु. लाखों में)
क)	प्रारंभिक व्यय	-	200.52	
ख)	प्रक्रियापूर्व व्यय (पूँजी के बाद कुल)	-	254.72	
ग)	अवमूल्यन	-	(1.23)	
घ)	डी एम आर सी से अन्य आय	(123.70)	-	
ड)	सर्वे दरें	(9.81)	-	
च)	आय पर सूद	(46.84)	-	
		(180.35)	454.01	

टिप्पणी नं. 24 - वित्तीय विवरण पर टिप्पणी

1. विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च 2015 तक समाप्त वर्ष	31 मार्च 2014 तक समाप्त वर्ष	राशी (रु. लाखों में)
पर्यटन और यात्रा	8.11	8.19	
डी एम आर सी द्वारा पूँजी व्यय	93.96	92.43	

2. पूँजी काम प्रगति पर (सी डब्लियू आई पी)

मेट्रो रेल प्रणाली प्रगति पथ पर है। दिनांक 23 मई 2013 के करार के अनुसार 2.06.2017 या उससे पहले डी एम आर सी परियोजना से संबंधित सारा काम पूरा करेगा और जुटाना शुल्क यानि कि 02.06.2017 के दिन या उससे पहले 48 महीने के अंदर प्रणाली को चालू भी करेगा।

इमारतों और निर्माण केलिए ध्वस्त अन्य संरचनाओं की आय की बिक्रि ऐसी संरचनाओं की भूमि अधिग्रहण लागत से कम किया है। अतः रिपोर्धीन वर्ष में यह राशी 40.87 लाख है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में डी एम आर सी का क्रियान्वयन शुक्ल राशी रु. 61.27 करोड है जिनको पूँजीकरण लंबित निर्माण दौरान खर्च के रूप में सी डब्लियू आई पी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डीएम आर सी के साथ की गई करार के अनुसार परियोजना के भुगतान पेशागी के रूप में दिया जाता है। इन फंडों की जमा पर जो सूद प्राप्त है वह सी डब्लियू आई पी से कम करते हैं। इस वर्ष के दौरान सूद का हिसाब रु.5.91 करोड (अब तक रु. 12.54 करोड) है।

3. प्रारंभिक काम

केरल सरकार के आदेश जी ओ नं.34/2010 ट्रान्स दिनांक 19.03.2010 के अनुसार डी एम आर सी ने पाँच प्रारंभिक कामों का उत्तरदायित्व लिया है। इस संपत्ति का अधिकार सरकार के पास ही होगा। के एम आर एल के गठन के बाद इस काम करने का धन के एम आर एल द्वारा दे रहा है और इस खाते पर पूरा खर्च केरल सरकार से प्राप्त धन के मुकाबले निर्धारित करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस काम केलिए कुल व्यय रु.32.22 करोड (पहले साल रु.18.80 करोड) हुआ है। निदेशक मण्डल ने 16 सितंबर 2014 के अपने 18 वाँ बैठक में परियोजना के काम के विकास केलिए सड़कों को सही बनाने केलिए रु.31.10 करोड का मूल्य निरूपण दिया था उस के साथ केरल सरकार द्वारा 50% ज्यादा भी बनाने का बन्धेज बनाया है। जी ओ नं. 14/2015/पी एल जी दिनांक 28.02.2015 के अनुसार

केरल सरकार ने शहर के सड़कों के विकास केलिए रु.15.55 करोड़ की अनुमोदन प्रदान की है जो दिये गए मूल्य निरूपण के 50% है। उसके आधार पर कंपनी इस वर्ष के दौरान रु.4.39 करोड़ को हासिल की और रु. 2.19 करोड़ केरल सरकार से प्राप्त राशि के बदले में मानेगा। बाकी व्यय रेवन्यू के साथ लगा देगा जो कि संपत्तियाँ के एम आर की निजी नहीं हैं और मेट्रो के काम चलते वक्त सड़क पर यात्राकरने में किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना है।

4. इडप्पली फ्लै ओवर

केरल सरकार के आदेश संख्या जी.ओ (आर टी) से 714/2013 पी.डब्लियू डी दिनांक 13.05.2013 के अनुसार मेट्रो रेल पुल के निर्माण के साथ-साथ डी एम आर सी के माध्यम से के एम आर एल को इडप्पली फ्लै ओवर का निर्माण कार्य भी सौंपा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस काम केलिए के एम आर एल की केरल रोड फंड बोर्ड (के आर एफ बी) द्वारा 25 करोड़ रुपये जारी की गई है। एम ओ यू कार्यान्वयन से संबंधित विवरण का अंतिम रूप दिया जा रहा है। मेट्रो संरचनाएँ भी शामिल होने के बाद इन लागत के हिस्से के एम आर एल को लगाया जा सकता है।

फ्लै ओवर निर्माण केलिए चालू वित्तीय वर्ष में के एम आर एल द्वारा भुगतान कुल 21.24 लाख (रु.10.28 करोड़) है। उपर्योक्त निर्माण से संबंधित सारा व्यय के आर एफ बी द्वारा लब्ध कराई गई निधियों से मुलाकात की गई है।

5. मूल्यहास के कारण लेखा पॉलिसी में परिवर्तन ले आने से लेखा विवरण में आये प्रभाव

कंपनी अधिनियम 2013 उपधारा 11 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 2014 से मूल्यहास में जो परिवर्तन आया उसके अनुसार कंपनी को उसकी स्थाई संपत्तियों को उपयोगी बनाने में पुनः संयोजित करना पड़ा और बकाया संपत्तियों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मूल्य घटाना पड़ा। इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में रु. 29.95 लाख का प्रबन्ध किया गया।

6. ए एस - 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ के संबंध में प्रकटीकरण

i) निधि और पेंशन निधि : कंपनी के योग्य कर्मचारियाँ भविष्य निधि के अंतर्गत आनेवाली कई सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार है। जिसमें कर्मचारी के वेतन के अनुसार कंपनी भी एक निर्धारित प्रतिशत मासिक योगदान के रूप में डालते हैं। योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में युगतान किया जाता है।

कंपनी के पेंशन स्कीम भविष्य निधि के साथ जुड़े हुए हैं। सभी योग्य कर्मचारियाँ जो कंपनी के भविष्य निधि स्कीम के अंतर्गत आते हैं, पेंशन स्कीम में भी आने योग्य हैं। इस स्मीम में कर्मचरियों से योगदान नहीं लेते बल्कि इसमें सिर्फ नौकरी दादा का योगदान रहेगा।

ii) उपदान : उपदान अधिनियम 1972 के अनुसार हर कर्मचारी जो लगातार पाँच साल या उससे अधिक की सेवा में है तो उसे उपादान प्रदान की जाती है। के एम आर एल अपनी परियोजना चरण में है और कोई भी कर्मचारी उपादान केलिए योग्य अवाधि पूरी नहीं कर ली है। फिर भी एक्चुरियल वाल्यूवेशन के अनुसार प्रावधानों को उपादान खाते में किया गया है।

iii) अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टी : मानव संसाधन नीति के अनुसार कंपनी कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और वेतन छुट्टी का फायदा भी प्रदान करता है। एक्चुरियल वाल्यूवेशन के आधार पर इस खाते के देयत्व को मान्यता प्राप्त है।

iv) एल टी सी : कंपनी कर्मचारियों को अपने शहर में या भारत के किसी भी देश में जाने का व्यय अंगीकृत पालिसी के अनुसार दिया जायेगा।

v) बीमा : कंपनी वर्तमान साल के दौरान अपने सभी योग्य कर्मचारियों केलिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी ली है।

vi) लाभ - हानि और तुलन पत्र के बयान में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभ का संक्षिप्त स्थिति के तहत

ANNUAL REPORT

— 2014 - 2015 —

1. लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त व्यय

राशी (रु. लाखों में)

विवरण	वर्ष	उपदान	अर्जित अवकाश	आधा वेतन अवकाश
वर्तमान सेवा लागत	2014-15	17.19	40.69	23.38
	2013-14	6.67	14.97	9.86
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशी	2014-15	4.21	10.29	5.40
	2013-14	3.76	8.44	5.55

2. तुलन पत्र के बयान में मान्यता प्राप्त राशी

राशी (रु. लाखों में)

विवरण	वर्ष	उपदान	अर्जित अवकाश	आधा वेतन अवकाश
दायित्व का वर्तमान मूल्य	2014-15	17.19	40.69	23.38
	2013-14	6.67	14.97	9.86
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति देयताएँ	2014-15	17.19	40.69	23.38
	2013-14	6.67	14.97	9.86

3. एकचुरियल अनुमान

विवरण	2014-15	2013-14
निधीकरण व्यवस्था	अनिधीकरण	अनिधीकरण
छूट पर	9.10%	9.10%
ए एस 15 आर पैरा 83-91 और 120 के	3%	3%
अनुसार वेतन वृद्धि		
उद्यम द्वारा तय संघंषण दर	1%	1%
छुट्टी और नकदीकरण के अनुपात	10%	10%
विभाजन पर नकदीकरण के अनुपात	10%	10%

7) ए एस - 17 के संबंध में प्रकटीकरण (खंड रिपोर्टिंग)

कंपनी केलिए मुख्य रूप से एक ही व्यापार है वह है कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना का विकास, उसको चलाना और बनाये रखना तदनुसार वित्तीय बयान में प्रदर्शित राशियाँ कंपनी के एक ही व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं।

8) ए एस 18 के संबंध में प्रकटीकरण (संबंधित पार्टीयों के प्रकटीकरण)

क) कुंजी प्रबंधन व्यक्तियाँ :

- i) श्री. एलियास जॉर्ज (प्रबंध निदेशक)
- ii) श्री. महेष कुमार (निदेशक - परियोजना)
- iii) श्री. एब्रहाम उम्मन (निदेशक - वित्त)
- iv) श्री. वेदमणी तिवारी (निदेशक - सिस्टम)

ख) संबंधित पार्टियों के साथ लेन - देन का प्रकटीकरण (कुंजी प्रबंधन व्यक्तियाँ)

विवरण	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
वेतन & भत्ता	72.65	58.04
भविष्य निधि एवं अन्य में अंशदान	7.72	4.00
अन्य लाभ	24.97	16.79

- i) प्रबंध निदेशक उनका वेतन सरकारी अतिरिक्त मुद्भ्य सचिव के रूप में केरल से लेते हैं।
- ii) कंपनी पॉलिसी के अनुसार निदेशक को पूरे समय तक पुनःर्लाभ केलिए या व्यक्तिगत यात्र केलिए कंपनी द्वारा किराये पर दी गई गाड़ी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- iii) उपदान में अंशदान देने का प्रवधान, छुट्टी नकदीकरण आदि वास्तविक मूल्यांकन के बाद ही निश्चित करता है।

9) ए एस - 19 के संबंध में प्रकटीकरण (पट्टे)

कंपनी के कर्मचारियों को आवास और कार्यालय केलिए पट्टे पर परिसर लिया है। इन पट्टों व्यवस्था आम तौर पर आपस में सहमत शर्तों पर नवीकरणीय है। इस वर्ष के दौरान कंपनी कर्मचारियों केलिए किराये के रूप में 53.23 लाख रुपए (पिछले साल ₹.14.33 लाख) और कार्यालय के लिए 77.32 लाख (पिछले साल ₹.78.18 लाख) रुपये का भुगतान किया गया है।

10) ए एस - 20 शेयर के रूप में आय का प्रकटीकरण (प्रति शेयर आय)

विवरण	2014-15	2013-14
वर्ष के दौरान शुद्धलाभ / हानि (रुपये लाखों में)	(17.87)	(270.11)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की		
भारित औसत संख्या		
- आधारिक	47,262,696	16,232,164
- पतला	52,907,696	41,162,164
मूल आय प्रति शेयर (रु.100 अंकित मूल्य/ शेयर)	(0.04)	(1.66)
पतल आय प्रति शेयर (रु. 100 अंकित मूल्य /शेयर)	(0.03)	(0.66)

11. ए एस 22 - (आय पर कर की लेखा) के बारे में प्रकटीकरण

ए एस 22 प्रवधान के अनुसार विलम्ब कर के लेखा में भारत के शासनपात्रित लेखा कारों की संस्था द्वारा प्रदान करता है।

12. ए एस 3- 28 (आस्तियों की क्षति) के बारे में प्रकटीकरण

हाल ही में आस्तियों की क्षति के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसलिए इस वित्तीय वर्ष में आस्तियों की क्षति नहीं हुई है।

13. 31 मार्च 2015 तक के मैक्रो, छोटे-मंडले एन्टरप्राइसस की सूचना

31 मार्च 2015 तक के मैक्रो, छोटे-मंडले एन्टरप्राइसस केलिए कोई राशी देय नहीं है।

14. पूंजी दायित्वों, संभावित देयताएँ और संभावित संपत्तियाँ

क) संभावित देयता का प्रावधान नहीं।

ख) पूँजी और अन्य दायित्व

राशी (रु.लाखों में)

पूँजी दायित्व	31.03.2015	31.03.2014
संविदा केलिए तैयार किये राशी अब भी बाकी है उसे पूँजी लेखा में निष्पादित किया है। परंतु प्रयोग नहीं किया है।	2,12,717.96	1,57,509.08

ग) संभावित आस्ति

संभावित आस्तियाँ जो सार्थक एवं भौतिक हैं, नहीं हैं (पूर्व वर्ष में नहीं)

15. पूर्व वर्ष के गणित को वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण के साथ तुलना करना आवश्यक है तो पुनः संधों में/ पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।

निदेशक मण्डली की ओर से, और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
बी. अनिलकुमार	एब्रहाम उम्मन	महेषकुमार	एलियास जॉर्ज
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (परियोजना)	प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त 2015

हमारा रिपोर्ट कालावधि के साथ

के.वर्गीस & कंपनी

(हस्ताक्षर)

साम वर्गीस

सहभागी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 अगस्त 2015

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
31.03.2015 तक के नकदी प्रवाह विवरण

राशी (रु.लाखों में)

	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
विवरण		
I. प्रचालन कार्यों से नकदी प्रवाह कुल लाभ / (हानि) कर से पहले समझौते केलिए	91.54	(390.56)
आस्तियों की बिक्री में हानि	0.26	3.96
अवमूल्यन	98.12	26.54
पूर्व कालावधि समझौता	(180.35)	454.01
सूद उपार्जन	(519.74)	(625.86)
काम की पूँजी परिवर्तन आने से पहले लाभ उठाना	(510.17)	(531.91)
समझौते केलिए कर कर्मचारियों के लाभ की प्रावधान	23.49	(23.34)
विभिन्न कार्यों से प्राप्त कुल राशी	(466.77)	(523.75)
II. निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह स्थिर आस्तियों की खरीदारी पूँजी डब्लियू आइ पी अन्य		
अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	115.88	-
सूद उपार्जन	519.74	625.86
अन्य चालू अभाव संपत्तियाँ	(782.69)	(30,866.25)
अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	37.67	(160.50)
अन्य चालू अभाव संपत्तियाँ	(19.95)	
अन्य चालू ऋण	4,275.03	180.25
जमा कार्यों में प्रयुक्त कुल राशी	(1,05,794.77)	(62,353.01)
III. वित्तीय कार्यों से नकदी प्रवाह		
केनरा बैंक से दीर्घकालीन ऋण	22,000.00	-
एजन्स फ्राक्चेस डी विकास	16,179.00	-
(ए एफ डी) से सहायता		
जिला सहकारिता बैंक,	36,600.00	-
एरणाकुलम से दीर्घकालीन ऋण		
केरल सरकार से उपऋण	9,700.00	-
भारत सरकार से उपऋण	6,695.00	2,500.00
शेयर पूँजी और शेयर आवेदन रूपए	46,225.00	33,400.00
प्राप्त ऋणों पर सूद	(136.66)	-
वित्तीय कार्यों केलिए उपयुक्त कुल राशी	1,37,262.34	35,900.00

ANNUAL REPORT

2014 - 2015

नकद और समानवालों में बढ़ती	<u>31,000.80</u>	(26,976.76)
प्रारंभिक अवधि में नकद और समानवाले	<u>8,133.30</u>	<u>35,110.06</u>
अंतिम अवधि में नकद और समानवाले	<u>39,134.10</u>	<u>8,133.30</u>
बैंक में नकद मिलाना	39,134.10	8,133.30

के वर्गोंस एण्ड कंपनी
शासनपत्रित लेखाकर
निदेशक मण्डली की ओर से, और केलिए

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
साम वर्गोस	बी.अनिल कुमार	एब्राहाम उम्मन	महेषकुमार	एलियास जॉर्ज
सहभागी	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक(परियोजना)	प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18 अगस्त 2015 दिनांक : 18 अगस्त 2015

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों केलिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2015 तक के तुलना तथा नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचियाँ शामिल है।

वित्तीय विवरणों केलिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन प्रस्तुत वित्तीय विवरणों केलिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) और उससे संबंधित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन का सही और स्पष्ट चित्र प्रदान करते हैं जो कंपनी के लेखा नियम 2014 की उपधारा 133 के नियम 7 के अनुसार जिन लेखा तत्वों को भारत में साधारणतयः स्वीकार किया है उसके अनुसार है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत तैयार करने केलिए उपयुक्त ढांचा, कार्यान्वयन, मरमत और अंतर्फूनी नियंत्रण का रखरखाव, अपराध कार्यों का रोक, योग्य लेखा पोलिसियों का चयन और आवेदन, न्याय और योग्य वे स्पष्ट मूल्य निरूपण की बनावट आदि शामिल हैं और जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया है वह चाहे गलत बयानी से हो, छल से हो या गलती से हो, मुक्त हो, सही एवं स्पष्ट दिखाया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम लेखा नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही लेखा परीक्षा करते हैं। लेखा नियमों के प्रावधानों के अधीन जो नियम बताये गये हैं उसके आधार पर लेखा, लेखाकरण का स्तर और विषय आदि तैयार करके लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत देते हैं।

हम अनुभाग 143 (10) के नियम के अनुसार विशिष्ट स्तरीय लेखा परीक्षा को आयोजित करते हैं। उस स्तर इसलिए ज़रूरी है कि हम नीतिपक्ष आवश्यकताओं और लेखापरीक्षकों की योजना और प्रस्तुतीकरण में स्वाभाविक विश्वास दिला दें ताकि वित्तीय विवरण स्थूल गलत विवरण से मुक्त हो। लेखा के अंतर्गत राशी एवं वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण केलिए सबूत प्राप्त करने केलिए कई प्रक्रियाएँ हैं। लेखा परीक्षकों के अनुमान के आधार पर प्रक्रियाओं को चयन करते हैं इसके अंतर्गत वित्तीय विवरण में गलत बयान न होने पर सावधानी वर्तनी है जिसमें गलत या घोखा न हो। मूल्यांकन में सावधानी रखकर लेखा परीक्षक वित्तीय विवरण तैयार करते वक्त कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर ध्यान देते हैं क्योंकि उससे लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं में कंपनी के अच्छे एवं स्पष्ट वातावरण सामने आ जायेगा। लेकिन यह कंपनी के अच्छे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था पर मत प्रकट करने केलिए नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी के पूरे वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करते वक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाये गए लेखा मूल्य निरूपण, लेखा पोलिसियों का भी मूल्यांकन लेखा परीक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं।

हमें विश्वास हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्रस्तुत किए हैं वे अपनी लेखा परीक्षा राय केलिए पर्याप्त व उचित आधार प्रदान करता है।

राय

हमें दिए गए विवरणों, हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए उपर्युक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके में, अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष विवरण देता है; 31 मार्च 2015 को कंपनी के मामलों की स्थिति का विवरण और उसी तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण।

अन्य कानूनी तथा नियामक ज़रूरतों पर रिपोर्ट

- i. कंपनी अधिनियम 2013 धारा 143 की उपधारा (11) केंद्र सरकार द्वारा ज़ारी लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट आदेश 2015 द्वारा हम आदेश की तीसरी व चौथी खण्डों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में देते हैं।
- ii. हमें कंपनी द्वारा जो सूचनाएँ, विवरण, चेक बुक और कई रिकोर्ड दिये गए हैं उसे हम योग्य सबूत के रूप में मानते हुए, भारत के नियंत्रणाधिकारी और महा लेखाकार द्वारा प्राप्त निर्देश एवं उपनिर्देशों के अनुबंध में अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार रिपोर्ट करते हैं।

- iii. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) के द्वारा हम अपेक्षित रिपोर्ट करते हैं : -
- (a) हमारी लेखा परीक्षा के कार्य केलिए आवश्यक सभी सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वस के अनुसार प्राप्त हुआ है।
 - (b) हमारी राय में कानून द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित पुस्तकों की अभी तक की हमारे जांच से पता चला है कि पुस्तकों को कंपनी द्वारा संभालकर रखा है।
 - (c) इस रिपोर्ट में बताए गए तुलन पत्र, लाभ - हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण आदि लेखा किताबों से मेल खाता है।
 - (d) हमारी राय में कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन कंपनी नियम 2014 के लेखा नियम 7 के अनुसार बताये गए उपर्युक्त वित्तीय विवरण लेखाकरण मानकों का अनुसरण करता है।
 - (e) प्रस्तुत कंपनी सरकारी है इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है।
 - (f) कंपनी अधिनियम 2014 नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में हमारी राय, आप से प्राप्त विवरण और हमारी सूचना के अनुसार अन्य कई तथ्यों को सम्मिलित किया गया है।
- i कंपनी के वित्तीय स्तर पर प्रभाव डालने लायक कोई अनिर्णित मुकद्दमेबाजी नहीं है।
- ii कंपनी योग्य नियम या लेखास्तर के अनुसार यदि कोई भौतिक नाश का अनुमान , या दीर्घकालीन करार जिसमें अमौलिक करार आदि है तो उस केलिए कई प्रावधानों को बनाया गया है।
- iii कंपनी द्वारा शिक्षा पूँजी लगाने और संरक्षण फंड में किसी भी राशी स्थानांतरित करने की ज़रूरत नहीं है।

के.वर्गास & कंपनी केलिए

शासनपत्रित लेखाकार

(पंजीकरण नं . 004525S)

(हस्ताक्षर)

साम वर्गास

(सदस्यता नं 216979)

कोच्ची

18 अगस्त 2015

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुबंध

अन्य कानून और व्यवस्थित मांग शीर्षक में अनुच्छेद (1) में बताये गए हमारा रिपोर्ट

स्थायी आस्तियों से संबंधित :

सामान्यतः कंपनी उचित अभिलेख बनाए रखते हैं जो मात्रात्मक विवरण तथा अचल आस्तियों की स्थिति का विवरण दिखाता है।

कंपनी को उनके स्थायी आस्तियों के लगातार शारीरिक मूल्यांकन करने का कार्यक्रम नहीं है। जो भी हो कंपनी ने इस वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों का मूल्यांकन किया। लेकिन कोई भौतिक गलती देखने को नहीं मिला।

चल संपत्ति के बारे में :

कंपनी के निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है। वास्तव में यह कोई भौतिक चल संपत्ति की सूची नहीं लेते। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन पंजीकृत किसी भी संस्थान, सुरक्षित या असुरक्षित कंपनी आदि कहीं से किसी भी प्रकार का ऋण कंपनी नहीं लिया है।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि कंपनी के आकार के अनुरूप तथा अचल आस्तियों की खरीदी से संबंधित उसके कार्यव्यापार की प्रकृति और निष्पादित किए जानेवाली काँड़ों केलिए संविदा प्रदान किए जाने के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ हैं। वर्तमान वर्ष में कंपनी के कार्यव्यापारों में चल संपत्ति की खरीदारी एवं माल की बिक्री नहीं हुई। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान गंभीर कमज़ोरियों में फंसनेवाले कोई लगातार पराजय आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में नहीं दिखाई पड़ा।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी इस वर्ष के दौरान आम जनता से किसी भी प्रकार का कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

भारत सरकार ने कंपनी केलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अधीन न कोई मूल्य संबंधी रिकार्ड बनाकर नहीं रखता जो भी हो यहाँ लागू नहीं है।

(क) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि। कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, बिक्रिकर, सेवाकर, सेस और कई अन्य सांविधिक देय में राशी के भुगतान में कोई भौतिक वाद विवाद नहीं है वे जब से प्राप्त होना है उस तिथि से छः महीने में बकाया राशी के रूप में मिलेगा।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2015 तक के लेखा में वाद विवाद लाने लायक आयकर, बिक्रि कर, सेवाकर, सेस व अन्य कोई सांविधिक देय नहीं है।

ग) हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 और नियम 1956 में (1) के द्वारा शिक्षा पूँजी लगाने या संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी का अस्तित्व सात साल से कम ही है।

कंपनी को कम से कम पाँच वर्ष का अस्तित्व है। कंपनी की संचित हानि उसके कुल मूल्य के 50% से भी कम है। वर्तमान वर्ष में कंपनी को नकद की हानि नहीं हुई है।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण और हमारे सामने प्रस्तुत की गई दस्तावेज़ों, रिकोडों के अनुसार हमारी राय में कंपनी वित्तीय संस्थाएँ / बैंकों को भुगतान करने में गलत नहीं है।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय यह है कि दूसरें द्वारा वित्तीय संस्थाएँ / बैंकों से ली गई ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी गयी है।

हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में इस वर्ष के दौरान कंपनी ने नियत ऋण केलिए आवेदन दिया है।

हमारी जानकारी और हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा कोई छल नहीं पाया गया है।

के.वर्गास & कंपनी

शासनपत्रित लेखाकार (पंजीकृत नं.004525S)

(हस्ताक्षर)

साम वर्गास

सहभागी

सदस्यता नं.216979

कोच्ची

18 अगस्त 2015

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2015 तक समाप्त लेखा पर लेखा परीक्षा का अनुप्रकृति रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सी & ए जी निवेदा के अनुसार

क्र.सं	सी & ए जी निवेदा	सांबिहित लेखा परीक्षक की विवरणीय
1.	यदि कंपनी प्रतिष्ठापित न करने केलए चुन गए है तो आस्तियों के मूल्यांकन का पूर्ण स्तरीय रिपोर्ट (भूमि और अस्थिर आस्तियों अंतर्गत है) और संपत्तियों (वादा किए गए & सुरक्षित अंतर्गत) का भी मूल्यांकन होगा जिसमें प्रतिष्ठापन प्रक्रियाओं के तरीके एवं वर्तमान स्थिति भी निहित हो	प्रतिष्ठापन की प्रक्रियाएँ नहीं चल रही है।
2.	यदि किसी भी प्रकार के कोई परित्याग/क्रठन बट्टे खते में डाला/उधार सुद आदि है तो कृपया रिपोर्ट करें / यदि “हैं” तो उसका कारण और राशि का भी रिपोर्ट करें	हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार यहाँ कोई उधार का कें साथ मिलकर चल संपत्ति के विवरण सूची में झूट बोलने केलिए कोई रिकांड नहीं बनाया है। सरकार या कोई अधिकारियों से तोका के रूप में संपत्तियाँ नहीं स्वीकार किया है।
3.	क्या तृतीय व्यक्ति के साथ मिलकर चल संपत्ति के विवरण सूची में झूट बोलने केलए कोई रिकांड बनाकर रखा है & सरकार और अन्य अधिकारियों से तोफा के रूप में संपत्तियाँ लिया है	हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार यहाँ तृतीय व्यक्ति के साथ मिलकर चल संपत्ति के विवरण सूची में झूट बोलने केलिए कोई रिकांड नहीं बनाया है। सरकार या कोई अधिकारियों से तोका के रूप में संपत्तियाँ नहीं स्वीकार किया है।
4.	बंद पड़े कानून / पंचानिय मुकदमा विषय में बंद पड़ने का कारण और अस्तित्व / सभी तरह के कानूनी मुकदमों (विवेशी और देशी) केलए रिपोर्ट की बनावट का प्रभाव आदि का युग के आधार पर रिपोर्ट	हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार विनांक 31.03.2015 के आधार पर बंद पड़े कानून / पंच निर्णय मुकदमों की कुल संख्या 80 है। युग के आधार पर बंद पड़े मुकदमें निम्न हैं:- 1) 2011 - 1 मुकदमा 2) 2012 - 2 मुकदमे 3) 2013 - 9 मुकदमे 4) 2014 - 53 मुकदमे 5) 2015 - 15 मुकदमे

बंद पड़ने का कोई विशेष कारण नहीं है सिवा प्रत्येक कवचहरी /न्यायकर्ता के द्वारा सुनवाई का आयोजन नहीं किया गया था

कोच्ची

18 अप्रैल 2015



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बार्ड, चेन्नै

*Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai*

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 को कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 (6) (बी) के अधीन भारतीय लेखा नियंता एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 के लिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित प्रतिवेदन ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 140(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरण पर अपनी राय व्यक्त करना लेखा - नियंता एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन नियुक्त किया गया सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है। यह उनके द्वारा करने के लिए कहा गया है; देखिए दिनांक 18/08/2015 की वार्षिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट।

मैं, लेखा-नियंता एवं महालेखापरीक्षक की ओर से समाप्त वर्ष 31 मार्च 2015 को कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अधीन लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी पेपर्स में बिना प्रवेश करके इस अतिरिक्त लेखापरीक्षा को स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया और यह प्राथमिक रूप से कंपनी के कर्मचारी और सांविधिक लेखापरीक्षकों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों के एक चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किसी भी टिप्पणियों को निकालने या जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं आया है।

भारतीय लेखा-नियंता एवं महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

जी. सुधर्मणि

वाणिज्य लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशिका
और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड

स्थान : चेन्नई¹
25.09.2015